



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112020-223355
CG-DL-E-27112020-223355

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 340]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2020/आग्रहायण 5, 1942

No. 340]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2020/AGRAHAYANA 5, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2020

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एसएसआर 02/2020

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “फ्लोट ग्लास” के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

फा. सं. 07/02/2020- डीजीटीआर.—जबकि 1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में कहा गया है) और तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे नियमावली के रूप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ;

1. मैसर्स गोल्ड प्लस इंडस्ट्री लि., मैसर्स सेंट- गोबेन ग्लास इंडिया प्रा. लि., मैसर्स सिस्कैम फ्लैट ग्लास इंडिया लि. और मैसर्स असाही ग्लास इंडिया लि. (इसके बाद इन्हें “आवेदकों” अथवा “याचिकाकर्ताओं” के रूप में कहा गया है) ने प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम और नियमावली के अनुसार, चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित

“स्पष्ट दिखने वाले और टिन्टेड किस्म के (हरे ग्लास के अलावा) 2 मि. मी. से 12 मि. मी. तक की मोटाई वाले (दोनों मोटाई शामिल) फ्लोट ग्लास, लेकिन इसमें सजावटी, औद्योगिक अथवा ऑटोमोटिव प्रयोजनों के लिए रिफ्लेक्टिव ग्लास, प्रसंस्कृत ग्लास शामिल नहीं है,” के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया है, जिसके तहत, मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आरोप लगाया गया है।

2. जबकि यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1995 की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को जब तक पहले रद्द न कर दिया गया हो, इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी अपेक्षित होती है कि क्या शुल्क की समाप्ति होने से उपरोक्तानुसार पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, अतः प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से एक विधिवत् साक्ष्य सहित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी अपेक्षित है कि क्या शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
3. भारत में फ्लोट ग्लास के घरेलू उत्पादकों की ओर से दायर किए गए विधिवत् साक्ष्य सहित एक आवेदन के आधार पर, और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार में उपरोक्त नियमावली के तहत (इसके बाद “प्राधिकारी” के रूप में कहा गया है) यह जांच करने के लिए दिनांक 10.2.2020 की अधिसूचना सं. 7/02/2020- डीजीटीआर के तहत एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी कि क्या चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय फ्लोट ग्लास के आयातों पर लागू शुल्क के समाप्त होने पर घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. मामले की पृष्ठभूमि

4. प्राधिकारी ने दिनांक 5.7.2002 की अधिसूचना सं. 14/19/2002- डीजीएडी के तहत चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “स्पष्ट दिखने वाले और टिन्टेड किस्म के (हरे ग्लास के अलावा) 2 मि. मी. से 12 मि. मी. तक की मोटाई वाले (दोनों मोटाई शामिल) फ्लोट ग्लास, लेकिन इसमें सजावटी, औद्योगिक अथवा ऑटोमोटिव प्रयोजनों के लिए रिफ्लेक्टिव ग्लास, प्रसंस्कृत ग्लास शामिल नहीं है,” के आयातों के संबंध में मूल जांच शुरू की है। प्राधिकारी ने दिनांक 20.11.2002 की अधिसूचना सं. 14/19/2002- डीजीएडी के तहत, प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित किए थे, जिनमें अंतिम पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) की सिफारिश की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 22.08.2003 के अपने अंतिम जांच परिणामों की अधिसूचना सं. 14/19/2002- डीजीएडी के तहत चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। दिनांक 12.11.2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 165/2003- सीमा शुल्क के तहत पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।
5. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 13.12.2007 की अधिसूचना सं. 15/01/2007- डीजीएडी के तहत प्रथम निर्णायक समीक्षा की शुरुआत की गई थी और अन्तिम जांच परिणाम में दिनांक 2.12.2008 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 15/01/2007- डीजीएडी के तहत प्राधिकारी द्वारा चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने की सिफारिश की गई थी। चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 2009 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 04/2009- सीमा शुल्क के तहत अधिसूचित किया गया था और दिनांक 22.05.2009 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 51/2009- सीमा शुल्क के तहत इसमें संशोधन किया गया था।
6. प्राधिकारी द्वारा चीन जन. गण. और इंडोनेशिया के खिलाफ दिनांक 03.01.2014 की अधिसूचना सं. 15/24/2013- डीजीएडी के तहत दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई और अंतिम जांच परिणामों में दिनांक 02.07.2015 की अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 15/24/2013- डीजीएडी के तहत प्राधिकारी द्वारा चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने की सिफारिश की गई थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इंडोनेशिया के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क वापस लेने की भी सिफारिश की थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 8.09.2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 47/2015- सीमा शुल्क के तहत चीन जन. गण. से संबद्ध

वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने की अधिसूचना जारी की गई थी। वर्तमान शुल्क 7.9.2020 तक लागू थे और उन्हें दिनांक 02.09.2020 की अधिसूचना सं. 29/2020- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत 7.12.2020 तक 03 माह के लिए बढ़ाया गया था।

7. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जब तक पहले रद्द न कर दिया जाए, उसे लगाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावित रहना समाप्त हो जाएगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा, उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। उपरोक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से एक विधिवत साक्ष्य सहित अनुरोध के आधार पर समीक्षा करनी अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
8. इस शुल्क की समाप्ति से पूर्व मैसर्स गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लि., मैसर्स सेंट गोबेन ग्लास इंडिया प्रा. लि., मैसर्स सिस्केम फ्लेट ग्लास इंडिया लि. और मैसर्स असाही इंडिया ग्लास लि. (इसके बाद इसे “आवेदक” अथवा “याचिककर्ता” के रूप में कहा गया है) ने प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम और नियमावली के अनुसार चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “स्पष्ट दिखने वाले और टिन्टेड किस्म के (हरे ग्लास के अलावा) 2 मि. मी. से 12 मि. मी. तक की मोटाई वाले (दोनों मोटाई शामिल) फ्लोट ग्लास, लेकिन इसमें सजावटी, औद्योगिक अथवा ऑटोमोटिव प्रयोजनों के लिए रिफ्लेक्टिव ग्लास, प्रसंस्कृत ग्लास शामिल नहीं है,” के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया है, जिसके तहत मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आरोप लगाया गया है।
9. प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर दिनांक 10.02.2020 की अधिसूचना 7/02/2020- डीजीटीआर के माध्यम से यह जांच करने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की कि क्या चीन जन. गण. (इसके बाद इसे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर ऐसे शुल्कों की समाप्ति होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
10. वर्तमान समीक्षा के दायरे में संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में दिनांक 02.07.2015 के अंतिम जांच परिणाम सं. 15/24/2013- डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

ख. प्रक्रिया

11. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यहां नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :
 - i. प्राधिकारी को उपरोक्त नियमावली के तहत घरेलू उद्योग की ओर से आवेदकों से लिखित में एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें चीन जन. गण. से फ्लोट ग्लास की क्षति और पाटन के जारी रहने और उसकी संभावना का भी आरोप लगाया गया है।
 - ii. नई दिल्ली में संबद्ध देश के दूतावास को नियम 6 (2) के अनुसार जांच शुरू करने के संबंध में सूचित किया गया था।
 - iii. प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 10.02.2020 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई थी।
 - iv. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध वस्तुओं के सभी ज्ञात निर्यातकों, संबद्ध देश की सरकार को उनके भारत में दूतावास के माध्यम से और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करने के बारे में सार्वजनिक सूचना की एक प्रति प्रेषित की गई थी।
 - v. प्राधिकारी ने उक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों तथा चीन जन. गण. की सरकार को उनके भारत में दूतावास के माध्यम से और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने इसके लिए लिखित में एक अनुरोध किया था, आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की। आवेदन के

अगोपनीय पाठ की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराई गई थी और जहां अनुरोध किए जाने पर, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रति प्रदान की गई।

- vi प्राधिकारी ने संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटनरोधी जांच शुरू करने की सार्वजनिक सूचना की एक प्रति प्रेषित की और उन्हें जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अथवा विस्तारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित रूप में निर्धारित ढंग से प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करने के लिए एक अवसर प्रदान किया गया था और उन्हें नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया था। प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार संगत सूचना प्रकट करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी :

क. मैसर्स लुओयांग फ्लोट ग्लास ग्रुप कं., लि.

ख. मै. क्विहुआंगडाओ हुआझोउ ग्लास कं. लि.

- vii. चीन जन. गण. की सरकार को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से, निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश से निर्यातकों/ उत्पादकों को परामर्श देने का भी अनुरोध किया गया। ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नामों और पतों के साथ दूतावास को भी भेजी गई।

- viii. चूंकि चीन जन. गण. एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसलिए चीन जन. गण. में सभी ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और चीन जन. गण. के दूतावास को एक अनुपूरक प्रश्नावली भी भेजी गई, जिसमें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी को संगत सूचना प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया था। यद्यपि, जांच शुरुआत के प्रयोजन से चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य विधिवत समायोजन करने के बाद भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के आधार पर प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को यह सूचित किया कि वे यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और पैरा 8 के आलोक में आवेदक के दावे की जांच करने का प्रस्ताव करते हैं। अतः चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों/ उत्पादकों को यह अनुरोध किया गया था कि वे उपरोक्त अनुबंध के पैरा 8 के उप पैरा (3) में यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि प्राधिकारी यह विचार कर सकें कि क्या उस देश में सहयोगी निर्यातकों/ उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान किया जा सकता है। तथापि, इस संबंध में चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

- ix. चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है।

- x. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं/ प्रयोक्ता संघों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध करा दिए गए थे) को आयातक की प्रश्नावली के साथ-साथ पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए सार्वजनिक सूचना की एक प्रति प्रेषित की और उन्हें यह परामर्श दिया कि वे नियम 6 (4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में उनके विचारों से अवगत कराने का परामर्श दें :

क. एटलान्टिक ट्रेडिंग - मुंबई

ख. कांच घर - मुंबई

ग. फिशफा ग्लास - मुंबई

घ. समरथ इंडस्ट्रीज - मुंबई

ड. प्रशांत ट्रेडिंग - मुंबई

च. आसमी ट्रेडर्स - मुंबई

छ. रजत ग्लास ट्रेडर्स - खरड

- ज. चंदन ग्लास ट्रेडर्स – पुणे
 झ. कोछर ग्लास ट्रेडर्स – भोपाल
 ज. ग्रेरीवाला ब्रादर्स प्रा. लि. - कोलकाता
 ट. स्योर सेफ ग्रुप/ ग्रेरीवाला ग्लास ट्रेडर्स – कोलकाता
 ठ. एमएस ग्लास ट्रेडर्स – कोलकाता
 ड. ग्लेज आर्चिटेक्चर प्रा. लि. – कोलकाता
 ढ. ग्लेज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. – कोलकाता
 ण. सराफ ग्लास प्रा. लि. – कोलकाता
 त. जीएससी – नोएड
 थ. शिव शक्ति – रूड़की
 द. रिद्धि सिद्धि – जयपुर
 ध. बनारस ग्लास – लखनऊ
 न. टी.एल. वर्मा – चंडीगढ़
 प. जगदम्बा ग्लास – दिल्ली
 फ. शीश महल टफ – रोहतक
 ब. नूतन ग्लास एच एस (प्रा) लि – बंगलोर
 भ. महावीर ग्लास एचएस – बंगलोर
 म. कर्नाटक मेटल कंपनी – बंगलोर
 य. इम्पेक्ट सेफ्टी ग्लास (प्रा) लि – बंगलोर
 कक. साउदर्न ऑटो प्रॉडक्ट्स (प्रा) लि – बंगलोर
 खख. टफ ग्लास इंडिया (प्रा) लि. हैदराबाद
 गग. येशो फ्लोट ग्लास (प्रा) लि. – हैदराबाद
 घघ. भंडारी ग्लास कं. – हैदराबाद
 ड.ड.. प्रकाश ग्लास – हैदराबाद
 चच. महावीर ग्लास – चेन्नई
 छछ. महावीर मिरर – विशाखापट्टनम
 जज. उमा इंडस्ट्रीज – बंगलोर
 झझ. जय मिरर इंडस्ट्रीज – चेन्नई
- xi. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात संघों को नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना परिचालित करने और मांगने के लिए आयातक की प्रश्नावली भेजी :
- क. ऑल इंडिया फ्लैट ग्लास मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईएफजीएमए)
 ख. एसोचेम
 ग. फिक्की
 घ. सीआईआई

- xii. किसी भी आयातक/ प्रयोक्ता/अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा, निर्धारित प्रश्नावली का कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- xiii. निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने प्राधिकारी को न तो उत्तर दिया और न ही इस जांच में संगत सूचना भेजी, उन्हें प्राधिकारी द्वारा असहयोगी हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माना गया है।
- xiv. प्राधिकारी ने नियम 6 (7) के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए रखी एक सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है। साथ ही, वैश्विक महामारी को देखते हुए और भौतिक पहुंच न होने के कारण, सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह अनुरोध किया गया था कि वे ईमेल के माध्यम से, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ, अपने प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ साझा करें।
- xv. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंड) और डीजी सिस्टम्स, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) से क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के सौदा-वार ब्यौरे प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी द्वारा, सौदों का विधिवत सत्यापन करने के बाद और विधिवत विश्लेषण करने के बाद, आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया गया है।
- xvi. नियमावली के अनुबंध- III और सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की ईष्टतम लागत और निर्माण व बिक्री लागत के आधार पर गैर- क्षतिकारी कीमत (एनआईपी) की गणना की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन के कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xvii. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी ने मामले के अनिवार्य तथ्यों को उसके समक्ष प्रकट किया है, जो दिनांक 23.11.2020 के एक प्रकटीकरण विवरण के रूप में इसमें जांच परिणामों का आधार बनेगा और हितबद्ध पक्षकारों को इस पर टिप्पणियां करने के लिए 25.11.2020 तक का समय प्रदान किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां, जहां तक संगत थी, उन पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है और उन्हें इस जांच परिणाम में शामिल किया गया है।
- xviii. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर, 2018 से 30 सितंबर, 2019 (12 माह) तक की है। तथापि, क्षति जांच की अवधि में विगत तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017, अप्रैल 2017 से मार्च 2018 और अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तथा जांच की अवधि शामिल है।
- xix. इसके अलावा, आवश्यकता के अनुसार आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से सूचना की मांग की गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का डेस्क इस प्रकटीकरण विवरण के प्रयोजन के लिए आवश्यकता के अनुसार सत्यापन किया गया।
- xx. नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 21.10.2020 की सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किया गया। सभी पक्षकारों, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने उत्तर प्रस्तुत किए थे, उन्हें अपने विचारों को लिखित में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया ताकि प्रतिवादी पक्षकार, बाद में रिज्वाइंडर, यदि कोई हो, दाखिल कर सकें।
- xxi. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, साक्ष्यों के साथ थे और उन्हें वर्तमान जांच में संगत पाए जाने तक, प्राधिकारी ने इस प्रकटीकरण विवरण में उचित रूप में शामिल किया है।
- xxii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की, गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर आवश्यकता के अनुसार ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और ऐसी सूचना को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ,

गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को, गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

- xxiii. जहां कहीं भी, किसी हितबद्ध पक्षकार ने इसे प्रदान करने से इंकार किया है, अथवा जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है, अथवा जांच को पर्याप्त रूप से बाधित किया है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही प्रकटीकरण विवरण को दर्ज किया है।
- xxiv. इस प्रकटीकरण विवरण में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना को दर्शाता है और प्राधिकारी द्वारा नियमों के तहत इस पर विचार किया गया है।
- xxv. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डॉलर= 71.55 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

12. विगत जांचों में विचाराधीन उत्पाद और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “स्पष्ट दिखने वाले और टिन्टेड किस्म के (हरे ग्लास के अलावा) 2 मि. मी. से 12 मि. मी. तक की मोटाई वाले (दोनों मोटाई शामिल) फ्लोट ग्लास, लेकिन इसमें सजावटी, औद्योगिक अथवा ऑटोमोटिव प्रयोजनों के लिए रिफ्लेक्टिव ग्लास, प्रसंस्कृत ग्लास शामिल नहीं है।” चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच की तरह ही है।
13. संबद्ध उत्पादों को अध्याय शीर्ष 70 “ग्लास और ग्लासवेयर” के तहत वर्गीकृत किया गया है। 8 डिजिट स्तर पर वर्गीकरण 70051090 है, यद्यपि इन्हें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत विभिन्न अन्य उप शीर्षों जैसे 7003, 7004, 7005, 7007, 7008, 7009, 7019, 7011, 7013, 7015, 7016, 7018 और 7020 के तहत भी आयात किया जा रहा है। आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तुओं के अधिकांश आयात, जो विवरण और उपयोग के तहत हैं, इन्हीं कोड के तहत पाए गए हैं। तथापि, उपरोक्त के अलावा किसी अन्य अध्याय कोड में संबद्ध वस्तु का आयात होने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता। यह अनुरोध किया गया है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से विचाराधीन उत्पाद पर यह बाध्यकारी नहीं है।

ग.2 उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

14. किसी भी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के बारे में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ग.3 प्राधिकारी की जांच

15. मूल जांच और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद को “स्पष्ट दिखने वाले और टिन्टेड किस्म के (हरे ग्लास के अलावा) 2 मि. मी. से 12 मि. मी. तक की मोटाई वाले (दोनों मोटाई शामिल) फ्लोट ग्लास, लेकिन इसमें सजावटी, औद्योगिक अथवा ऑटोमोटिव प्रयोजनों के लिए रिफ्लेक्टिव ग्लास, प्रसंस्कृत ग्लास शामिल नहीं है” के रूप में परिभाषित किया गया है। रिफ्लेक्टिव ग्लास को विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में से दिनांक 22.5.2009- सीमाशुल्क के तहत निकाल दिया गया था। विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 70 में “ग्लास और ग्लासवेयर” श्रेणी के तहत और उसके बाद सीमा शुल्क वर्गीकरण 7005 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इसकी विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर कोई बाध्यता नहीं है।
16. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) के तहत समान वस्तु के संबंध में, यह प्रावधान है कि :-
 “समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं” ;

17. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और चीन जन. गण. से निर्यातित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और चीन जन. गण. से आयातित उत्पाद भौतिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों व उपयोगों, उत्पादन विनिर्देशनों, कीमत, वितरण और प्रबंधन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशिष्टताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) के तात्पर्य और दायरे में चीन जन. गण. से आयातित किए गए विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।
18. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के मामले के संबंध में प्राधिकारी के समक्ष कोई तर्क नहीं दिया गया है। अतः प्राधिकारी यह पुष्टि करते हैं कि वर्तमान समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहा जो जांच शुरुआत करने संबंधी अधिसूचना में था।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

19. वर्तमान आवेदन मैसर्स गोल्ड प्लस इंडस्ट्री लि., मैसर्स असाही ग्लास इंडिया लि., मैसर्स सेंट-गोबेन ग्लास इंडिया प्रा. लि. और मैसर्स सिस्कैम फ्लैट ग्लास इंडिया लि. द्वारा दायर किया गया है, जिनके पास जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन का 88 प्रतिशत भाग है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचन के अनुसार, देश में विचाराधीन उत्पाद का केवल एक ही ज्ञात उत्पादक है, अर्थात् मैसर्स गुजरात गार्डियन लि.। यह भी नोट किया जाता है कि इस कंपनी ने न तो जांच में समर्थन किया है और न ही विरोध किया है।
20. उपलब्ध सूचना के अनुसार, एक आवेदक मैसर्स सेंट-गोबेन ग्लास इंडिया प्रा. लि. ने आन्तरिक गुणवत्ता और जांच के प्रयोजन के लिए चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं का एक नगण्य मात्रा में आयात किया है। मैसर्स सेंट-गोबेन ग्लास इंडिया प्रा. लि. द्वारा आयातों की छोटी सी मात्रा पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने मैसर्स सेंट-गोबेन ग्लास इंडिया प्रा. लि. को नियम 2 (ख) के तात्पर्य से पात्र घरेलू उद्योग के रूप में विचार किया है। अन्य किसी भी आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। उपरोक्त को देखते हुए, आवेदक, घरेलू उद्योग के मापदंड और भारतीय पाटनरोधी नियमावली के तहत विनिर्दिष्ट आधार के मापदंड को पूरा करता है।
21. वर्तमान जांच में देश में किसी अन्य उत्पादक से घरेलू उद्योग के आवेदन को कोई विरोध नहीं है।
22. किसी भी उत्पादक/ निर्यातक/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों से घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।
23. उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2 (ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग के रूप में याचिकाकर्ता पर विचार किया है और आवेदन नियम 5 के संदर्भ में आधार के मापदंड को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

24. आवेदकों ने यह दावा किया है कि जहां तक उनके अनुरोधों/ सूचना का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के प्रावधानों और इस संबंध में जारी किए गए व्यापार नोटिस के अनुसार गोपनीयता का दावा किया गया है।

ड.2 निर्यातकों/ आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

25. किसी भी निर्यातक/ उत्पादक/अन्य हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग की गोपनीयता के दावों के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

26. गोपनीय सूचना के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के तहत, यह प्रावधान इस प्रकार है :

“गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) और नियम 17 के उप नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को

गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

27. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं, आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 सामान्य मूल्य

28. अधिनियम की धारा 9क (1) (ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य है :

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया गया हो ; अथवा

(ख) उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

बशर्ते कि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

च.1.1 घरेलू उद्योग द्वारा किया किए गए अनुरोध

29. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि चीन जन. गण. को डीजीटीआर सहित दुनिया भर के विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना गया है।
- घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि चूंकि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हाल की जांचों में चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना है, इसलिए इस पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (2) के संदर्भ में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में विचार किए जाने की आवश्यकता है।

- iii. इस प्रसंग में, घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी नियमावली के अनुच्छेद के पैरा 7 के संदर्भ में चीन जन. गण. के लिए उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले अन्य देश के रूप में जर्मनी को मानने का सुझाव दिया है। जर्मनी को सहयोगी देश के रूप में प्रस्ताव करते हुए, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. और जर्मनी, दोनों ही निर्यात केन्द्रित हैं और उनकी प्रभावी घरेलू मांग अत्यधिक उत्पाद को समाहित नहीं कर सकती है। इसके अलावा, चीन जन. गण. के बाद जर्मनी संबद्ध वस्तु का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही, स्थानिक खपत, प्रतिस्पर्धा, निर्यात उन्मुखीकरण इत्यादि के संदर्भ में फ्लोट ग्लास के विकास का स्तर अत्यधिक समान ही है।
- iv. चूंकि आवेदक जर्मनी में प्रचलित कीमतें प्राप्त करने में समर्थ नहीं थे, इसलिए उन्होंने जर्मनी में आयात कीमतों के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है (स्रोत: आईटीसी ट्रेड मैप)

च.1.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

30. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने सामान्य मूल्य के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है:

च.1.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

31. धारा 9क (1) (ग) के तहत, वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य इस प्रकार है :

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

बशर्ते कि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

32. जांच की शुरुआत की अवस्था में, प्राधिकारी ने इस अवधारणा के अनुसार आगे कार्यवाही की है कि चीन जन.गण. एक असहयोगी बाजार अर्थव्यवस्था देश है। जांच शुरू होने पर, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. में उत्पादकों/निर्यातकों के जांच शुरुआत नोटिस का उत्तर देने की उनकी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का निर्धारण करने के लिए संगत सूचना प्राप्त करने का परामर्श दिया। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (3) में विनिर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को अनुपूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी। प्राधिकारी ने चीन जन. गण. की सरकार से चीन जन. गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना प्रदान करने का परामर्श देने के लिए भी अनुरोध किया। तथापि, किसी भी, चीन के उत्पादक/निर्यातक ने कोई उत्तर दाखिल नहीं किया है।
33. उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, और चीन की निर्यात कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन न करने को देखते हुए, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में चीन जन. गण. को एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाल देश मानना उचित समझते हैं और चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही की है।

34. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के तहत प्रावधान इस प्रकार हैं :

"गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

35. इस संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में पहले और दूसरे विकल्प के संदर्भ में चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य के निर्धारण की संभावना की जांच की गई है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने जर्मनी में फ्लोट ग्लास की समग्र आयात कीमत को स्वीकार किया था क्योंकि जांच शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। जर्मनी को एक सहयोगी देश के रूप में माना गया था, क्योंकि उत्पाद के विकास का स्तर और देश को चीन जन.गण. और जर्मनी के लिए समान माना गया था।

36. तथापि जांच के दौरान, प्राधिकारी ने यह नोट किया कि विचाराधीन उत्पाद में मोटाई, रंग इत्यादि में कतिपय भिन्नताएं हैं और इस प्रकार से जर्मनी में फ्लोट ग्लास की कीमत पर सामान्य मूल्य के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जा सका क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के बारे में जैसा कि परिभाषित किया गया है, कोई सूचना, याचिकाकर्ता द्वारा उनकी याचिका में उपलब्ध कराए गए आयात संबंधी आंकड़ों (ट्रेड मैप) से प्राप्त नहीं की जा सकी। इसे पारदर्शी तुलना के सिद्धांतों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण समझा गया था। यह भी नोट किया जाता है कि जांच की प्रक्रिया के दौरान, किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया है जिससे कि प्राधिकारी को समान तुलना के लिए समान सामान्य मूल्य अथवा उचित कीमत तुलना करने में सहायता मिल सके। अतः उत्पादकों की पारदर्शी तुलना करने के लिए प्राधिकारी के पास अनुबंध-1 के पैरा 7 के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, अर्थात् समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत आवश्यकतानुसार विधिवत् समायोजित करके तर्कसंगत लाभ शामिल करने के लिए। इस प्रकार, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभों को जोड़कर भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है।

37. इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य नीचे पाटन तालिका में दिया गया है।

च.2 निर्यात कीमत

च.2.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

38. घरेलू उद्योग ने निर्यात कीमत के निर्धारण के प्रयोजन से सौदा-वार आयात संबंधी डाटा प्रस्तुत किया है। उसने समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा और बंदरगाह व्ययों, स्वदेशी माल भाड़ा, वेट समायोजन और क्रेडिट लागत के संबंध में समायोजन करने के बाद अपेक्षित कीमत संबंधी समायोजनों के अलावा भारत में आयातों की मात्रा और मूल्य का आकलन करने के लिए डीजीसीआई ऐंड एस के डाटा का प्रयोग किया है।

च.2.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

39. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा निर्यात कीमत के संबंध में कोई उत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

च.2.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

40. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में डीजीसीआई ऐंड एस से प्राप्त किए गए आयात संबंधी सौदा-वार आंकड़े प्रदान किए हैं। चूंकि किसी भी संबद्ध देश के निर्यातक ने ऐसी कोई सूचना प्रदान नहीं की है, जिसका उपयोग संबद्ध देश से सभी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए किया जा सकता है, अतः संबद्ध देश से सभी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमतें, जैसा कि डीजीसीआई ऐंड एस के आंकड़ों में सूचित किया गया है, आयातों की सी आई एफ कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। चूंकि डीजीसीआई ऐंड एस द्वारा प्रदान किए गए सौदा-वार आयात के आंकड़े, जिनमें विचाराधीन उत्पाद और अन्य निकाली गई वस्तुएं अथवा गैर संबद्ध वस्तुएं निहित हैं, इसलिए निकाली गई वस्तुओं और गैर-संबद्ध वस्तुओं के लिए डाटा छटनी करके विचाराधीन उत्पाद की मात्रा और मूल्य निर्धारित किया गया है और डाटा का विश्लेषण किया गया है। चूंकि डीजीसीआई ऐंड एस के डाटा में सौदों में आयात किए गए उत्पाद का पूरा विवरण नहीं दर्शाते, इसलिए विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद में ऐसे सौदों को अलग करने की एक तर्कसंगत पद्धति पाटन और क्षति की जांच के लिए अपनाई गई है।
41. यह नोट किया जाता है कि डीजीसीआई ऐंड एस के आयात संबंधी डाटा के अनुसार, जैसा कि ऊपर कहा गया है, जांच की अवधि के दौरान चीन जन. गण. से 8531 मी.टन संबद्ध वस्तुएं आयात की गई थी। प्राधिकारी ने आयात संबंधी डाटा से यह भी नोट किया है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के 8531 मी. टन आयात में से करीब 5563 मी. टन आयात विभिन्न प्रकार/ ग्रेड/ टाइप की संबद्ध वस्तुओं नामतः एक्स्ट्रा क्लीयर फ्लोट ग्लास (ईसीएफजी) के हैं। यह भी नोट किया जाता है कि ईसीएफजी में प्रयुक्त कच्ची सामग्री की शुद्धता और सौन्दर्य मूल्य के कारण वह सामान्यतः अधिक कीमत का होता है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, प्राधिकारी ने ईसीएफजी और चीन जन. गण. से आयातित अन्य संबद्ध वस्तुओं ("अन्य फ्लोट ग्लास") की ईसीएफजी और बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित किए गए और बेचे गए अन्य फ्लोट ग्लास के साथ तुलना की गई है ताकि ईसीएफजी और घरेलू उद्योग में अन्य फ्लोट ग्लास के आयातों के प्रभाव का विश्लेषण किया जा सके।
42. संबद्ध देश में संबद्ध निर्यातकों से ठोस सूचना के अभाव में, चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत की, समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, कमीशन, निर्यातक देश में स्वदेशी परिवहन, और बैंक प्रभारों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार लागू समायोजनों के आधार पर गणना की गई है ताकि कार्योत्तर स्तर पर निर्यात कीमत निकाली जा सके।
43. तदनुसार, संबद्ध वस्तुओं के लिए चीन जन. गण. के लिए निवल निर्यात कीमत इस प्रकार निर्धारित की गई है :

च.3 पाटन मार्जिन

44. उपरोक्तानुसार भारित औसत निर्मित सामान्य मूल्य और कारखाना बाह्य स्तर पर निर्धारित की गई निर्यात कीमत की तुलना करने पर चीन जन. गण. में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन इस प्रकार है :-

विवरण	यूओएम	ईसीएफजी	अन्य फ्लोट ग्लास	भारित औसत संबद्ध वस्तुएं
आयात की मात्रा	मी. टन	5563	2967	8531
निर्मित सामान्य मूल्य	यूएस डालर/ मी. टन	***	***	***
निर्यात कीमत	यूएस डालर/ मी. टन	***	***	***
पाटन मार्जिन	यूएस डालर/ मी. टन	***	***	***
पाटन मार्जिन	%			***
पाटन मार्जिन	रेंज			50 - 70

45. इस प्रकार से निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन सकारात्मक है, न्यूनतम से अधिक है और महत्वपूर्ण भी है।

छ. क्षति, कारणात्मक संबंध और पाटन तथा मार्जिन के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना का आकलन**छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

46. घरेलू उद्योग द्वारा वर्तमान जाँच के दौरान किए गए क्षति संबंधी अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :

- i. यह कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि दिखाई गई है। अतः मांग में संकुचन आना एक ऐसा संभव कारण नहीं है, जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई होगी।
- ii. यह कि पाटन मार्जिन काफी सकारात्मक है, और इसीलिए, आयातित संबद्ध वस्तुओं के लिए चीन जन. गण. से भारत में मांग में पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में वृद्धि होने की एक स्पष्ट संभावना है।
- iii. यह कि मौजूदा कोविड-19 संकट समाप्त होने पर भारत चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के निर्यात के लिए बड़ा स्थान बन जाएगा, विशेषकर, इस तथ्य को देखते हुए कि उनके बड़े बाजार, जिनमें, यूरोपीय संघ शामिल हैं, कोविड-19 से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। अतः घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना है।
- iv. यह कि चीन जन. गण. से दो बड़े उत्पादकों यथा जिन्पी और किर्किंग ने मलेशिया से पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करना शुरू किया है। प्राधिकारी ने मलेशिया से पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश की है। अतः यदि चीन जन. गण. से शुल्कों का विस्तार नहीं किया जाता है तो पूरी संभावना है कि मलेशिया से निर्यातित मात्रा को यदि चीन जन. गण. के खिलाफ शुल्कों का विस्तार नहीं जाता है तो चीन जन. गण. से स्थानांतरित किया जाएगा।
- v. यह कि चूंकि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए खपत की पद्धति में परिवर्तन घरेलू उद्योग की क्षति में योगदान के लिए संभव नहीं है।
- vi. घरेलू उद्योग ने आयातित संबद्ध वस्तुओं की समान से समान की तुलना करने का अनुरोध किया है क्योंकि संबद्ध वस्तुओं का एक प्रमुख ईसीएफजी चीन जन. गण. से आयात किया जा रहा है। यह कि कोई व्यापार प्रतिबंध प्रक्रिया नहीं है, जो घरेलू उद्योग को क्षति के लिए जिम्मेदार होगी।
- vii. यह कि उत्पाद को उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में न तो कोई परिवर्तन हुआ है और न ही निकट भविष्य में कोई परिवर्तन होने की संभावना है। अतः प्रौद्योगिकी में विकास क्षति का कारक नहीं है।
- viii. यह कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता पूरी जाँच की अवधि के दौरान लगभग उसी स्तर पर रही। अतः उत्पादकता क्षति के लिए एक कारक नहीं है।

छ.2. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

47. प्राधिकारी के समक्ष वर्तमान जाँच के दौरान किसी उत्पादक/निर्यातक/आयातक/अन्य इच्छुक पक्ष द्वारा क्षति के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

48. पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की निष्पक्ष जाँच का प्रावधान किया गया है। पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जाँच करनी होती है कि क्या पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, मात्रा के संबंध में या भारत में उत्पादन या उपभोग की तुलना में। कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जाँच करनी होती है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई है, या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को उल्लेखनीय स्तर तक गिराने या कीमतों में बढ़ोतरी, जो अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ जाती, को रोकने के रूप में सामने आया है।

49. प्राधिकारी ने आयात के आंकड़ों से यह भी नोट किया है कि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के 8531 एमटी के आयात में से 5563 एमटी का आयात एक्स्ट्रा क्लीयर फ्लोट ग्लास (ईसीएफजी) नामक संबद्ध वस्तु की एक विशेष किस्म/ग्रेड/प्रकार का है। आगे यह भी नोट किया गया है कि ईसीएफजी में प्रयोग की गई कच्ची सामग्री की शुद्धता और इसकी सुंदरता के कारण इसकी कीमत सामान्यतः अधिक होती है। यह भी नोट किया गया है कि ईसीएफजी और संबद्ध वस्तुओं की अन्य किस्मों/ग्रेड/प्रकारों का आयात विभिन्न मोटाई में किया जाता है, जिसे आयात के आंकड़ों में सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया गया था। इसलिए चीन जनवादी गणराज्य से किसी उत्पादक/निर्यातक की सहभागिता न होने पर और उसके उचित सत्यापन के बिना आयात कीमतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी ने समान घटकों के विश्लेषण के साथ ईसीएफजी के आयात के घरेलू उद्योग पर प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए चीन जनवादी गणराज्य से आयातित ईसीएफजी की तुलना बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा बेचे जाने वाले ईसीएफजी से की है।
50. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच करने के लिए बिक्री, लाभों, परिणाम, बाजार की हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले घटकों; पाटन के मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी या निवेश को बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभावों सहित उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संगत आर्थिक घटकों पर नियमों के अनुलग्नक II के अनुसार विचार किया गया है। घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक मानदंडों की निम्नानुसार जाँच की गई है: -

पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

i. माँग का आकलन

51. वर्तमान जाँच के उद्देश्य से संबद्ध वस्तुओं की माँग या उपभोग को आवेदकों की घरेलू बिक्री, अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार आकलित की गई माँग नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	माप की इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच अवधि
चीन जन. गण. से आयात	एमटी	8283	7302	8413	8531
अन्य देशों से आयात	एमटी	271410	328079	300832	302763
कुल आयात	एमटी	279693	335381	309245	311293
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	961514	1043966	1182547	1175051
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	161000	172000	150000	150000
कुल घरेलू बिक्री	एमटी	1122514	1215966	1332547	1325051
माँग	एमटी	1402207	1551347	1641792	1636344

52. उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की माँग में क्षति की जाँच अवधि में अच्छी वृद्धि हुई है और इसमें आधार वर्ष की तुलना में जाँच की अवधि के दौरान 17% की वृद्धि हुई है। आयात के आंकड़ों से यह नोट किया गया है कि चीन जनवादी गणराज्य से आयातों का 65% से 70% हिस्सा ईसीएफजी नामक संबद्ध वस्तुओं की एक विशेष किस्म का है और शेष 30 से 35% हिस्सा संबद्ध वस्तुओं की अन्य किस्मों का है।

ii. चीन जनवादी गणराज्य से आयातों की मात्रा और आयातों की हिस्सेदारी

53. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना होता है कि क्या पाटित आयातों में मात्रा की दृष्टि से या भारत में उत्पादन या उपभोग की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है:

विवरण	माप की इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच अवधि
चीन जन. गण. से आयात	एमटी	8283	7302	8413	8531
अन्य देशों से आयात	एमटी	271410	328079	300832	302763
कुल आयात	एमटी	279693	335381	309245	311293
कुल पीयूसी उत्पादन	एमटी	1094376	1144299	1418849	1413108
भारत में संबद्ध वस्तुओं की माँग	एमटी	1402207	1551347	1641792	1636344
निम्न के संबंध में चीन जन. गण. से आयात					
उत्पादन	%	0.76%	0.64%	0.59%	0.60%
रूझान	इंडेक्स	100.0	84.3	78.3	79.8
उपभोग	%	0.59%	0.47%	0.51%	0.52%
रूझान	इंडेक्स	100	80	87	88

54. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया गया है कि-

क. क्षति की पूरी जाँच अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का आयात समान स्तर पर रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया गया है कि जाँच अवधि में चीन जनवादी गणराज्य से आयात वर्ष 2018-19 की तुलना में मात्रा की दृष्टि से और उत्पादन तथा उपभोग की तुलना में भी बढ़ा है। तथापि इसमें मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के कारण आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में मामूली गिरावट आई।

ख. घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि चीन जनवादी गणराज्य से जाँच अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में आयातों में तुलनात्मक रूप से मामूली गिरावट चीन जनवादी गणराज्य के विरुद्ध मौजूदा पाटनरोधी शुल्क और इस तथ्य के कारण है कि चीनी उत्पादक मलेशिया से उनके 100% स्वामित्व वाली कंपनियों के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर रहे थे।

iii. पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव

55. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्धारित प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई है, या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को उल्लेखनीय स्तर तक गिराने या कीमतों में बढ़ोतरी, जो अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ जाती, को रोकने के रूप में सामने आया है।

56. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की कीमतों में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत पर दबाव एवं गिरावट के संदर्भ में जाँच की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से उत्पादन की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से आयातों की माल उतारने तक की कीमत से की गई है। जाँच अवधि के दौरान पाटित आयातों की माल उतारने तक की कीमत और घरेलू बिक्री कीमत के बीच संबद्ध वस्तुओं के लिए तुलना की गई थी। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण करने में घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान किए गए करों, छूट, रियायतों और कमीशन को समायोजित किया गया है।

57. आगे यह नोट किया गया है कि उचित कीमत विश्लेषण के उद्देश्य से प्राधिकारी ने आयातित वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों के बीच तुलना करते हुए उचित तुलना के सिद्धांतों पर विचार किया है।

क. कीमत में कटौती

58. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य से आयातों की माल उतारने तक की कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से की है। इस संबंध में विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

विवरण	माप की इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच अवधि
आयातों की माल उतारने तक की कीमत	रु/एमटी	25202	24162	27286	26021
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	रु/एमटी	24532	22856	21123	20997
कीमत में कटौती	रु/एमटी	-670	-1307	-6163	-5024
कीमत में कटौती	%	-2.66%	-5.41%	-22.59%	-19.31%
कीमत में कटौती	रेंज	(10)-0	(10)-0	(30)-(20)	(20) - (10)

59. यह नोट किया गया है कि चीन जनवादी गणराज्य से माल उतारने तक की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक थी। जैसा कि ऊपर नोट किया गया है चीन जनवादी गणराज्य से 8531 एमटी की कुल आयात मात्रा में से लगभग 65% अर्थात् 5563 एमटी ईसीएफजी का है, जबकि इस अवधि के दौरान ईसीएफजी में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी घरेलू उद्योग की कुल घरेलू बिक्री के 1% से भी कम थी। इसलिए कीमतों में उपर्युक्त कटौती सही स्थिति नहीं दर्शाती। प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य से आयातित ईसीएफजी और घरेलू समान वस्तु की अन्य क्रिस्मों और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा बेचे जाने वाले ईसीएफजी और संबद्ध वस्तुओं की अन्य क्रिस्मों के बीच समान घटकों की तुलना भी की है और यह नोट किया है कि कीमत में कटौती सकारात्मक है। यह नीचे दी गई तालिका में भी देखा जा सकता है:

जाँच अवधि	माप की इकाई	ईसीएफजी	अन्य प्लोट ग्लास	औसत भार
आयात की मात्रा	एमटी	5563	2967	8531
माल उतारने तक की कीमत	रु/एमटी	25209	27543	26021
निवल बिक्री प्राप्ति	रु/एमटी	***	***	***
कीमत में कटौती	रु/एमटी	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	***	***	50-60

ख. कीमत में दबाव और गिरावट

60. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या चीन जनवादी गणराज्य से आयात घरेलू कीमतों पर दबाव डाल रहे हैं या उनमें गिरावट ला रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को उल्लेखनीय स्तर तक गिराने या कीमतों में बढ़ोतरी, जो अन्यथा सामान्य रूप से उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ जाती, को रोकने के रूप में सामने आया है, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों पर निम्नानुसार विचार किया:

विवरण	माप की इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच अवधि
बिक्री की लागत	रु/एमटी	19905	20158	21925	22221
रुझान	इंडेक्स	100	101	110	112
बिक्री कीमत	रु/एमटी	24532	22856	21123	20997
रुझान	इंडेक्स	100	93	86	86
चीन जन. गण. से माल उतारने तक की कीमत	रु/एमटी	25202	24162	27286	26021
रुझान	इंडेक्स	100	96	108	103

61. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत इसकी बिक्री की लागत से कम है और इसमें पिछले वर्षों की तुलना में जाँच अवधि के दौरान गिरावट भी आई। यह भी नोट किया गया है कि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं की माल उतारने तक की कीमत घरेलू उद्योग में समान उत्पाद के उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत से अधिक है।
62. इस संबंध में पुनः यह नोट किया गया कि चीनी उत्पादकों/निर्यातकों के सहयोग के बिना संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि मोटाई का सत्यापन केवल निर्यातक के आंकड़ों से किया जा सकता है। तथापि यह नोट किया गया है कि ईसीएफजी की बिक्री कीमत और बिक्री की लागत चीन जनवादी गणराज्य से आयातित ईसीएफजी की माल उतारने तक की कीमत से अधिक है, जो दर्शाता है कि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग दबाव में है।

ग. कम कीमत पर बिक्री

63. प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कम कीमत पर बिक्री के संबंध में हुई क्षति की भी जाँच की है जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	चीन जन. गण.
एनआईपी	रु/एमटी	***
चीन जन. गण. से आयातों की माल उतारने तक की कीमत	रु/एमटी	26021
कम कीमत पर बिक्री	रु/एमटी	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज	(10) – 0

64. उपर्युक्त तालिका में प्रदान की गई सूचना के आधार पर कम कीमत पर बिक्री नकारात्मक है। तथापि जब समान घटकों के आधार पर चीन से ईसीएफजी और अन्य संबद्ध वस्तुओं की माल उतारने तक की कीमत की तुलना घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ईसीएफजी और संबद्ध वस्तुओं की क्षतिरहित अवधि से की जाती है तो कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है। इसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

जाँच अवधि	माप की इकाई	ईसीएफजी	अन्य प्लोट ग्लास	औसत भार
आयात की मात्रा	एमटी	5563	2967	8531
माल उतारने तक की कीमत	रु/एमटी	25209	27543	26021

क्षतिरहित कीमत	रु/एमटी	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रु/एमटी	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज	***	***	10-20

iv. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

65. पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक-II में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की निष्पक्ष जाँच होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संदर्भ में पाटनरोधी नियमों में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में बिक्री, लाभों, परिणाम, बाजार की हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों, पाटन के मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले घटकों; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश को बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभावों सहित उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संगत आर्थिक घटकों और सूचकांकों का एक वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। यहाँ नीचे घरेलू उद्योग के विभिन्न क्षति मापदण्डों पर चर्चा की गई है:

i. क्षमता, उत्पादन, क्षमता का उपयोग और बिक्री:

66. क्षमता, उत्पादन और क्षमता के उपयोग का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	माप की इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच अवधि
क्षमता	एमटी	1633740	1724104	2220200	2357900
कुल उत्पादन	एमटी	1391242	1313874	1545182	1611310
केवल पीयूसी का उत्पादन	एमटी	1128228	1180057	1518303	1517850
क्षमता का उपयोग (कुल उत्पादन)	%	85.16%	76.21%	69.60%	68.34%
बिक्री की मात्रा	एमटी	961514	1043966	1182547	1175051
रुझान	इंडेक्स	100	109	123	122

67. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया गया है कि भारत में बढ़ी हुई माँग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता बढ़ी है। यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के पास घरेलू माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। इसके बावजूद क्षति की पूरी जाँच अवधि के दौरान पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

ii. बाजार में हिस्सेदारी:

68. आयातों, घरेलू बिक्री और घरेलू उद्योग की बाजार में हिस्सेदारी का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	माप की इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच अवधि
चीन से आयात	एमटी	8283	7302	8413	8531
अन्य देशों से आयात	एमटी	271410	328079	300832	302763
कुल आयात	एमटी	279693	335381	309245	311293
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	961514	1043966	1182547	1175051

विवरण	माप की इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच अवधि
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	161000	172000	150000	150000
कुल घरेलू बिक्री	एमटी	1122514	1215966	1332547	1325051
माँग	एमटी	1402207	1551347	1641792	1636344
माँग में हिस्सा					
चीन जन. गण. से आयात	%	1%	0%	1%	1%
अन्य देशों से आयात	%	19%	21%	18%	19%
कुल आयात	%	20%	22%	19%	19%
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	69%	67%	72%	72%
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	%	11%	11%	9%	9%
कुल घरेलू बिक्री	%	80%	78%	81%	81%

69. उपर्युक्त से यह नोट किया गया है कि क्षति की पूरी जाँच अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का आयात मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के कारण एक समान रहा है। तथापि घरेलू उद्योग का तर्क है कि क्योंकि अब मलेशिया से आयातों पर भी शुल्क लगा दिए गए हैं इसलिए यदि पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाए जाते हैं तो चीन जनवादी गणराज्य से आयातों की हिस्सेदारी में अब फिर से बढ़ोतरी होगी। आगे यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी, क्षति की पूर्ण जाँच अवधि के दौरान एक समान रही है बावजूद इसके कि इस अवधि में माँग में बढ़ोतरी हुई है।

iii. उत्पादकता:

70. घरेलू उद्योग की उत्पादकता नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	माप की इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच अवधि
कर्मचारी	संख्या	3377	4026	4444	4421
कार्य दिवसों की औसत संख्या	दिन	365	365	365	365
कार्य दिवसों की संख्या	कार्य दिवस	123260 5	1469490	1622060	1613665
उत्पादकता	एमटी/कार्य दिवस	0.92	0.80	0.94	0.94
रूझान	इंडेक्स	100	88	102	103

71. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया गया है कि प्रति कार्य-दिवस कुल उत्पादन के संदर्भ में उत्पादकता लगभग एक समान बनी हुई है।

iv. मालसूची:

72. संबद्ध वस्तुओं की मालसूची निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है।

विवरण	माप की इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच अवधि
औसत मालसूची	एमटी	122869	126908	192367	195350
रूझान	इंडेक्स	100	103	157	159

73. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया गया है कि जाँच अवधि के दौरान मालसूची में पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

v. रोजगार और मजदूरी:

74. रोजगार और मजदूरी के संदर्भ में स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	माप की इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच अवधि
कर्मचारी	संख्या	3377	4026	4444	4421
रूझान	इंडेक्स	100	119	132	131
मजदूरी	रुपये लाख में	12516	13617	17703	18010
रूझान	इंडेक्स	100	109	141	144
मजदूरी/कर्मचारी (रुपये प्रति वर्ष)	रुपये/संख्या	370625	338218	398366	407384
रूझान	इंडेक्स	100	91	107	110

75. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया गया है कि कर्मचारियों की संख्या और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी में जाँच अवधि के दौरान बढ़ोतरी हुई है। घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि मजदूरी में वृद्धि देश में सामान्य रूप से मजदूरी में वृद्धि के अनुपात में रही है।

vi. लाभप्रदता

76. घरेलू उद्योग के लाभ, निवेश पर लाभ प्राप्ति और नकद प्रवाह की जांच निम्नानुसार दी गई है:

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
विक्रय मूल्य	रुपए/एमटी	24532	22856	21123	20997
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	86	86
बिक्री मूल्य की लागत	रुपए/एमटी	19905	20158	21925	22221
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	110	112
लाभ हानि	लाख रुपए	44485	28163	-9483	-14388
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	63	-21	-32
लाभ हानि	रुपए/एमटी	4627	2698	-802	-1224
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	58	-17	-26
नकद लाभ	रुपए/एमटी	6530	4458	994	845
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	68	15	13
नियोजित पूंजी पर लाभ प्राप्ति(आरओसीई)	%	17.32%	9.81%	-2.86%	-4.44%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	57	-16	-26

77. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की लागत आधार वर्ष यानी 2016-17 में पीओआई से 19905 रुपये/मीट्रिक टन से बढ़कर 22221 रुपये/ मीट्रिक टन हो गयी है। हालांकि, इसी अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य में आधार वर्ष यानी 2016-17 में पीओआई में 24532 रुपये/एमटी की तुलना में 20997 रुपये/एमटी की गिरावट आई है। यह नोट किया गया है कि लागत में वृद्धि और बिक्री मूल्य में गिरावट के कारण, घरेलू उद्योग की लाभदायक स्थिति 2018-19 और पीओआई के दौरान हानि में बदल गई। क्षति की जांच अवधि के दौरान नकद लाभ में भी गिरावट आई। आरओसीई ने भी लाभप्रदता के समान प्रवृत्ति का पालन किया है।

vii. वृद्धि

78. पीओआई में बिक्री मूल्य, लाभप्रदता, नकद लाभ और आरओसीई के संदर्भ में घरेलू उद्योग की नकारात्मक वृद्धि थी। उसी को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
घरेलू बिक्री कीमत रुपये/एमटी/	-	-7%	-14%	-14%
लाभ और हानि रूपए/एमटी	-	-42%	-117%	-126%
नकद लाभ रूपए/एमटी	-	-32%	-85%	-87%
नियोजित पूंजी पर आय	-	-43%	-116%	-126%
डीआई की घरेलू बिक्री	-	9%	23%	22%
मांग में डीआई का मार्केट शेयर	-	-1.86%	5.04%	4.72%

viii पाटन का परिमाण:

79. पाटन का परिमाण उस सीमा का एक संकेतक है जिस तक पाटित किए गए आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि चीन की तुलना में निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और महत्वपूर्ण है।

ix. पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता:

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को वित्तीय नुकसान हो रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा पाटित किए गए आयात की वजह से प्रतिस्पर्धा का सामना करने के साथ, यह दावा किया गया है कि चीन जन.गण. से पाटित किए गए आयात की उपस्थिति से क्षेत्र में भविष्य के निवेश की संभावना है। लाभप्रदता में गिरावट और निवेश पर आय इंगित करती है कि चीन जन.गण. से पाटित किए गए आयात के कारण क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश बढ़ाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

x. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

81. ऊपर में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि मांग में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से पाटित किया हुआ आयात, हालांकि मात्रा में कम है, फिर भी भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। आगे यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि चीन जन.गण. से आयात के लिए पाटन-रोधी शुल्क लागू हैं, इसलिए आयात की मात्रा और तथ्य यह है कि विभिन्न थिकनेस मुद्दे के कारण, आयात की कीमतों को संभावित कीमतों का प्रतिबिम्बित नहीं माना जा सकता है। तथापि, मलेशिया से निर्यात कीमत इवेंट शुल्क में संभावित कीमतों का उचित विचार देता है चीन जन.गण. के लिए विस्तारित नहीं हैं। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात किए गए आयात हैं वे देश जहां से पाटनरोधी शुल्क लागू है।

v.सामग्री क्षति का विश्लेषण

82. मात्रा और कीमत प्रभाव के साथ-साथ क्षति के विभिन्न मापदंडों की जांच से पता चलता है कि पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात, पाटनरोधी शुल्क के अस्तित्व के कारण स्थिर रहा। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों/उत्पादकों की भागीदारी के अभाव में, थिकनेस के कारण निर्यात मूल्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उपलब्ध जानकारी से यह भी नोट किया गया है कि इस मामले में कोई मात्रा प्रभाव नहीं है। हालांकि, कीमत में कमी और कीमत हास और न्यूनीकरण को दर्शाने वाली तालिका से स्पष्ट रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल मूल्य प्रभाव के प्रभाव के साथ, यह नोट किया गया है कि मांग में वृद्धि के बावजूद क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। इसके अलावा, यह भी ध्यान दिया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और आरओसीई संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित किए गए आयात के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।

vi. क्षति और क्षति मार्जिन का परिमाण

83. प्राधिकारी ने समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुबंध-III के साथ पठित नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित किया है। उत्पाद की तरह घरेलू की एनआईपी जांच की अवधि के लिए बनाने और बेचने के लिए लागत से संबंधित सत्यापित जानकारी / आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। घरेलू उद्योग के एनआईपी को अनुबंध III से नियमों के अनुसार काम किया गया है। एनआईपी के निर्धारण के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा क्षति की अवधि में कच्चे माल का सबसे अच्छा उपयोग माना गया है। उपयोगिताओं के साथ एक ही उपचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता का सबसे अच्छा उपयोग माना गया है। पीओआई में उत्पादन की गणना सबसे अच्छी क्षमता के उपयोग को देखते हुए की गई है और उसी उत्पादन को प्रति यूनिट तय लागतों पर पहुंचने के लिए माना गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन की लागत के लिए कोई असाधारण या गैर-आवर्ती खर्च नहीं लिया गया था। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (यानी औसत नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित रिटर्न (प्री-टैक्स @ 22%) को अनुबंध - III में एनआईपी में आने के लिए व्याज, कॉर्पोरेट टैक्स और लाभ की वसूली के लिए अनुमति दी गई थी और प्राधिकारी द्वारा लगातार अनुसरण किया जा रहा है। क्षति मार्जिन को निर्धारित करने के लिए गैर-हानिकारक कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयात की उतरी हुई कीमतों के साथ की गई है।

पीओआई	यूओएम	ईसीएफजी	अन्य प्लोट ग्लास	वजन औसत – संबद्ध वस्तुएं
आयात मात्रा	एमटी	5563	2967	8531
पहुंच मूल्य	रुपए/एमटी	25209	27543	26021
क्षति रहित कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***
क्षति मार्जिन	रुपए/एमटी	***	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***	***
क्षति मार्जिन	रेंज	30-40	(15)-(5)	10-20

vii. गैर-विशेषता विश्लेषण

84. पाटनरोधी नियमों के अनुसार, प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ, पाटित किए गए आयात के अलावा किसी भी ज्ञात कारक की जांच करने की आवश्यकता है, जो एक ही समय में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, ताकि इन अन्य कारकों के कारण होने वाली क्षति को पाटित आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके। इस संबंध में जो कारक प्रासंगिक हो सकते हैं, उनमें शामिल हैं, अंतर, मात्रा और कीमतों में बेचे जाने वाले दामों की बिक्री नहीं होना, मांग में संकुचन या खपत के पैटर्न में बदलाव, व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, में विकास प्रौद्योगिकी और निर्यात प्रदर्शन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता। यह नीचे जांचा गया है कि क्या पाटित किए गए आयात के अलावा अन्य कारक घरेलू उद्योग की क्षति में योगदान कर सकते हैं।

(i) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

85. चीन जन.गण. के अलावा अन्य देशों से आयात और पहले से ही पाटनरोधी शुल्कों को आकर्षित करने वाले देश मात्रा के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं हैं, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का खतरा पैदा हो। अन्य देशों के आयातों का कुल आयात में 3% से कम और भारत में कुल मांग/खपत का 1% था। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्य देशों के आयात वर्तमान में क्षति का कारण बन रहे हैं।

(ii) निर्यात निष्पादन

86. यह ध्यान दिया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा जांच की गई क्षति की जानकारी घरेलू कार्यों के लिए है और इसलिए निर्यात की मात्रा में संभावित परिवर्तन से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंची है।

(iii) प्रौद्योगिकी का विकास

87. हितबद्ध पक्षकारों में से किसी ने भी घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाली तकनीक में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रदर्शित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है। यह आगे कहा गया है कि संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू क्षति के कारण एक कारक नहीं है।

(iv) कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले उत्पादों का प्रदर्शन घरेलू उद्योग के लिए क्षति का एक संभावित कारण प्रतीत नहीं होता है।

(v) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और प्रतियोगिता

89. संबद्ध वस्तुओं का आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं है और देश में समान रूप से आयात किया जा सकता है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह सुझाव देने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कोई बदलाव आया है।

(vi) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

90. यह नोट किया जाता है कि प्रति कर्मचारी उत्पादन के मामले में घरेलू उद्योग की उत्पादकता के साथ-साथ प्रति दिन उत्पादन भी अवधि में मामूली वृद्धि हुई है।

(vii) खपत की पद्धति में मांग और परिवर्तन में संकुचन

91. यह नोट किया गया है कि पूरे क्षति की अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग लगातार बढ़ गई है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग की क्षति मांग में संकुचन के कारण नहीं थी।

viii. क्षति और कारणात्मक संबंध की निरंतरता का निष्कर्ष:

92. इस प्रकार यह नोट किया गया है कि सूचीबद्ध अन्य कारक यह नहीं दर्शाते हैं कि इन अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। प्राधिकारी ने जांच की कि क्या उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची है।

क. मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के कारण संबद्ध देश से आयात का निर्यात स्थिर बना हुआ है।

ख. घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के साथ अपने उत्पादन और बिक्री को बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है।

ग. लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन, नकदी प्रवाह और बिगड़ते निवेश पर लाभ प्राप्ति। इस प्रकार, उत्पाद के डंपिंग से मुनाफे, नकदी प्रवाह और निवेश पर वापसी के मामले में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट आई है।

ज. पाटन और क्षति की निरंतरता और आवृत्ति की संभावना आकलन**ज. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध**

93. पाटन और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- चीन जन.गण. के निर्यातकों द्वारा जारी पाटन को और तेज किए जाने की स्पष्ट संभावना है, अगर मौजूदा शुल्क वापस ले लिया जाता है, तो घरेलू उद्योग को और तीव्र क्षति की स्थिति पैदा हो सकती है।
- घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों के पास बड़ी अधिशेष क्षमता है। इस तरह की अधिशेष क्षमता चीन जन.गण. में मांग या बाजार की आवश्यकता से अधिक में उत्पादकों द्वारा क्षमताओं की किस्त के कारण बनाई गई है।

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
भारतीय उत्पादन क्षमता	16,33,740	17,24,104	22,20,200	23,57,900
चीन उत्पादन क्षमता	6,30,00,000	6,50,00,000	6,70,00,000	6,90,61,538*
क्षमता का जोड़	10,00,000#	20,00,000	40,00,000	60,61,538

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
भारतीय क्षमता के साथ चीन की क्षमता का%	3856%	3770%	3018%	2929%
भारतीय क्षमता के साथ चीन क्षमता का%	61%	116%	180%	257%

* पिछले वर्ष में पीओआई के लिए चीन उत्पादन क्षमता में% वृद्धि

2015 से क्षमता अंतर के आधार पर।

स्रोत: फ्लोट ग्लास के लिए चीन ग्लास डेटाबेस

- iii. यह घरेलू उद्योग द्वारा भी अनुरोध किया गया है कि ग्लास की मांग बुनियादी ढांचे के विकास से जटिल रूप से जुड़ी हुई है। विकास दर में गिरावट के साथ, कई देशों द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों के कारण पहले से ही कम क्षमता के उपयोग से पीड़ित चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं की मांग में भी कमी आएगी। उसी को नीचे दी गई तालिका से भी देखा जा सकता है:

विवरण	2016	2017	2018	2019	2020	2024
चीन की अनुमानित जीडीपी वृद्धि *	6.7	6.8	6.6	6.1	5.8	5.5
चीन क्षमता उपयोग **	67%	71%	69%	68%	-	-

* स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो, चीन पीआर,

** फ्लोट ग्लास के लिए मिनसिंग सिक्योरिटीज

- iv. रिकॉर्ड पर रखी गई जानकारी से, यह नोट किया गया है कि चीन जन.गण. में बहुत ही निष्क्रिय क्षमता उपलब्ध है, जिसे आसानी से भारत में भेजा जा सकता है, यदि शुल्क नहीं बढ़ाया जाता है। उसी को नीचे दी गई तालिका से भी देखा जा सकता है:

विवरण	2016	2017	2018	2019
चीन उत्पादन क्षमता	6,30,00,000	6,50,00,000	6,70,00,000	6,90,61,538
चीन क्षमता उपयोग	67%	71%	69%	68%
निष्क्रिय क्षमता	2,07,90,000	1,88,50,000	2,07,70,000	2,20,99,692
भारतीय मांग	14,02,207	15,51,347	16,41,792	16,36,344
भारतीय मांग के अनुपात में चीन की अधिशेष क्षमता का%	1483%	1215%	1265%	1351%

- v. आगे अनुरोध किया गया है कि चीन जन.गण. में विशाल निष्क्रिय क्षमता है जो भारतीय मांग के लगभग 14 गुना है। चीनी उत्पादक इस तथ्य के बावजूद क्षमता जोड़ रहे हैं कि अचल संपत्ति क्षेत्र में ठहराव के कारण चीन में खपत में गिरावट आई है।
- vi. पिछले 5 वर्षों में चीन जन.गण. में क्षमता में वृद्धि हुई है, जो कि भारतीय क्षमताओं में 4 गुना वृद्धि है, जिससे 2018 के अंत में संपूर्ण चीनी बाजार का आकार 30 गुना अधिक हो जाएगा।
- vii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चीन जन.गण. में निष्क्रिय पड़ी क्षमता के साथ-साथ स्थापित क्षमताएं पर्याप्त हैं, और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी को खत्म करने की क्षमता है। इसके अलावा, अधिशेष क्षमता के साथ-साथ ये स्थापित क्षमताएँ निष्क्रिय पड़ी हैं और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी को खत्म करने की क्षमता है।

- viii. घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि चीन जन.गण. घरेलू ग्लास बाजार की अधिकांश मांग अचल संपत्ति (75%) से जुड़ी है और चीन जन.गण. में अचल संपत्ति की मांग स्थिर है।
- ix. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि क्षति की जाँच अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं की माँग बढ़ गई है।
- x. भारत विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए एक आकर्षक बाजार है, विशेष रूप से चीन जन.गण. के संबंध में क्योंकि आईटीसी ट्रेड मैप दिखाता है कि भारत चीन जन.गण. से निर्यातकों के लिए दूसरा पसंदीदा स्थान है। इसलिए, चीन जन.गण. के अलावा, ईरान, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब भी पाटनरोधी शुल्कों के अधीन हैं
- xi. यह भी अनुरोध किया गया है कि वर्तमान में चीनी निर्माता मलेशिया में अपने हाल ही में स्थापित संयंत्र से अपने पाटित किए गए माल का निर्यात कर रहे हैं, जिसके लिए प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश की है और सब्सिडी-रोधी जांच जारी है।
- xii. संबद्ध वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार में उस उत्पाद की महत्वपूर्ण माँग बनी रहती है जो सामान्य आर्थिक विकास के अनुरूप है। हालांकि, अतीत का मूल्य परिदृश्य बताता है कि यह वैश्विक स्तर पर सरप्लस लागत मूल्य पर निर्यात करने की क्षमता वाले वैश्विक खिलाड़ियों के लिए कम कीमत वाला बाजार और आकर्षक बना रहेगा। हालांकि, यदि शुल्कों को हटा दिया जाता है तो भारतीय बाजार बहुत अधिक आकर्षक हो जाएगा।

ज.2. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा अनुरोध

94. किसी भी निर्माता/निर्यातक ने पाटन और क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में कोई भी अनुरोध नहीं किया है।

ज. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

95. प्राधिकारी के संज्ञान में लाए गए सभी कारकों की जांच यह निर्धारित करने के लिए की गई है कि क्या झूटी खत्म होने की स्थिति में पाटन और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं। प्राधिकारी ने पाटन और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सूचनाओं पर विचार किया है।
96. वर्तमान जांच चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की एक निर्णायक समीक्षा है। नियमों के तहत, प्राधिकारी को यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक है कि पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने का वारंट है या नहीं। इसके लिए इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या झूटी लगाई गई है ताकि क्षतिकारक पाटन को खत्म करने के उद्देश्य से काम किया जा सके। इस तरह के संभावना विश्लेषण का संचालन करने के लिए कोई विशिष्ट तरीके उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि, नियमों के अनुबंध II के खंड (vii) में अंतर, ऐसे कारक दिए गए हैं, जिन पर ध्यान दिया जा सकता है जैसे
- क) भारत में पाटित किए गए आयातों की वृद्धि की एक महत्वपूर्ण दर से काफी वृद्धि हुई आयात की संभावना का संकेत मिलता है;
 - ख) पर्याप्त रूप से स्वतंत्र रूप से डिस्पोजेबल, या एक आसन्न, पर्याप्त वृद्धि, निर्यातक की क्षमता भारतीय बाजारों के लिए पर्याप्त रूप से बढ़े हुए निर्यात की संभावना को इंगित करती है, किसी भी अतिरिक्त निर्यात को अवशोषित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए;
 - ग) क्या आयात उन कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं, जिनका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण हास या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा, और इससे आगे के आयात की मांग में वृद्धि होगी; तथा
 - घ) वस्तु की सूचीपत्र की जांच की जा रही है।
97. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने अन्य प्रासंगिक कारकों की भी जांच की है जो घरेलू उद्योग के लिए पाटन और परिणामी क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना पर असर डालते हैं। संभावना के मापदंडों की जांच इस प्रकार है:

(i) निर्यातकों के साथ अधिशेष क्षमता

98. घरेलू उद्योग ने चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों के साथ विद्यमान विशाल अधिशेष क्षमता की जानकारी प्रदान की है। रिकॉर्ड पर आंकड़ों से, यह नोट किया गया है कि:
- क. चीनी उत्पादकों द्वारा पीओआई में मांग का जोड़ भारत में संबद्ध वस्तुओं की कुल क्षमता से अधिक है। इसके अलावा, पीओआई में क्षमता वृद्धि स्वयं भारतीय क्षमता के 250% से अधिक है।
- ख. पीओआई में चीनी क्षमता भारतीय क्षमता का 2900% से अधिक है।
- ग. घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में 724160 मीट्रिक टन क्षमता बढ़ाई है, यानी 2016-17 में, इसी दौरान चीनी उत्पादकों ने 6061538 मीट्रिक टन जोड़ा है, जो कि भारतीय क्षमता के अतिरिक्त 8 गुना है।
99. रिकॉर्ड पर रखी गई जानकारी से यह नोट किया गया है कि ग्लास की मांग जटिल रूप से अवसंरचना विकास से जुड़ी हुई है। विकास दर में गिरावट के साथ, अनेक देशों द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों के कारण पहले से ही कम क्षमता के उपयोग से पीड़ित चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं की मांग में भी कमी आएगी।
100. घरेलू उद्योग ने आगे निवेदन किया है कि चीन जन. गण. के घरेलू ग्लास बाजार के लिए मांग स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) से जुड़ी है और चीन जन. गण. में रियल एस्टेट की मांग स्थिर है। यह निवेदन किया जाता है कि चीन जन. गण. में उपर्युक्त कारणों से मांग में गिरावट एन बी एस, चीन जन. गण. ग्लास डाटा बेस से स्पष्ट है।
101. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से, यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. के पास बहुत सारी पर्याप्त निष्क्रिय क्षमता उपलब्ध है जिसे आसानी से भारत को अपवर्तित जा सकता है, यदि शुल्कों का विस्तार नहीं किया जाता। चीनी उत्पादक इस तथ्य के बावजूद क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं कि रियल एस्टेट क्षेत्र में स्थिरता के कारण चीन में खपत में गिरावट आई है। यह चीन से संभावित मात्रा की ओर भी संकेत करता है।
102. आगे यह नोट किया गया है कि चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक या निर्यातक अथवा किसी अन्य पक्षकार ने इन देशों में उत्पादन, खपत या क्षमताओं के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अथवा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का खंडन नहीं किया है।
103. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्टों के अनुसार, चीन जन. गण. लगातार फ्लोट ग्लास की क्षमता और उत्पादन में एक बहुत ही प्रभावी स्थिति में रहा है और वैश्विक रूप से इस उत्पाद का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। इसके अतिरिक्त, हाल के वर्षों में, चीन जन. गण. में क्षमता उपयोग भी लगभग 82% से गिरकर 70% हो गया जो चीन जन. गण. में गिरती हुई मांग का संकेतक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक बार पाटन रोधी शुल्कों को समाप्त किए जाने के पश्चात चीन जन. गण. भारत में पाटित सम्बन्ध वस्तुओं की आपूर्ति को पुनः आरंभ कर सकता है।
104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं की मुक्त रूप से निस्तारणीय (डिस्पोजेबल) क्षमताएं विद्यमान हैं।

(ii) भारतीय बाजार की आकर्षकता

105. संबद्ध वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार में उत्पाद के लिए एक स्वस्थ मांग लगातार बनी रही है। जो सामान्य आर्थिक वृद्धि के अनुरूप ही है। यह नोट किया गया है कि पाटन रोधी शुल्क के लागू होने के बावजूद, चीन जन. गण. से पाटित कीमतों पर और भारतीय बाजार में उल्लेखनीय मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का आयात लगातार बना हुआ है। संबद्ध वस्तु के लिए भारतीय मांग में असाधारण वृद्धि हुई है और मांग में भविष्य सापेक्ष वृद्धि हुई है। ये कारक भारत को विदेशी उत्पादकों के लिए एक उपयुक्त और आकर्षक बाजार बनाते हैं।
106. आगे, आई टी सी ट्रेड मैप डाटा से यह भी नोट किया जाता है कि भारत चीनी उत्पादकों द्वारा निर्यातित संबद्ध वस्तुओं की प्राथमिकता की शर्तों में दूसरी स्थिति धारित करता है। आगे यह नोट किया गया है कि प्रवृत्त पाटन रोधी शुल्कों के बावजूद, भारत संबद्ध वस्तुओं के लिए पसंदीदा लक्ष्य बना हुआ है। घरेलू उद्योग द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि पाटन रोधी शुल्क मलेशिया से आयातों से वसूल किए जा रहे हैं, यह बहुत संभव है

कि चीनी उत्पादकों के संबंधित पक्षकार चीन जन. गण. से अपने माल को पुनः भेजेंगे (रीशिप करेंगे), जिनके लिए भारत दूसरा स्थान धारित करता है।

107. इस संबंध में, यह भी नोट किया जाता है कि पाटन रोधी शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में 802362 मी.टन की एक अतिरिक्त मात्रा भारतीय बाजारों को भेजी जा सकती है क्योंकि इसे भारत को निर्यात कीमत की तुलना में कम कीमत पर निर्धारित किया गया है। इससे संबद्ध देश से लगभग 810893 मी.टन का कुल निर्यात भारत में आएगा। इस नीचे सारणीबद्ध किया गया है:-

विवरण	ईकाई	पीओआई
चीन जन. गण. से विश्व को कुल निर्यात	मी.टन	1512270
चीन जन. गण. से भारत को निर्यात	मी.टन	8531
भारत को निर्यात की जाने वाली संभावित मात्रा	मी.टन	802362
भारत को निर्यात की जाने वाली कुल मात्रा	मी.टन	810893
भारत को संभावित कुल निर्यातों का हिस्सा	%	54%

*स्रोत : फ्लोट ग्लास के लिए आई टी सी ट्रेड मैप

108. प्राधिकारी के नोटिस में यह भी लाया गया है कि ब्राजील जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और फ्लोट ग्लास का एक उभरता हुआ उपभोक्ता है। चीन जन. गण. से इसे उत्पाद के आयातों पर 2013 में शुल्क लगाए गए हैं, इसी प्रकार साउथ कोरिया के ट्रेड कमीशन ने भी अप्रैल, 2012 में चीनी फ्लोट ग्लास उत्पादों पर लागू पाटन रोधी शुल्क का विस्तार किया है। घरेलू उद्योग ने यह भी आगे कहा है कि आस्ट्रेलिया में प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से फ्लोट ग्लास के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क को जारी रखा है। इसलिए, ब्राजील, साउथ कोरिया और आस्ट्रेलिया को संबद्ध वस्तुओं के चीनी निर्यातों के उस सीमा तक प्रभावित होने की संभावना है।
109. रिकार्ड पर प्रस्तुत सूचना के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है तो भारतीय बाजार अधिक आकर्षक हो जाएगा क्योंकि निर्यातक उनके द्वारा अवशोषित शुल्क की सीमा तक बेहतर कीमतों की वसूली करने में समर्थ होंगे।

(III) घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से निम्न संभावित मात्रा

110. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि चीन ने विश्व को लगभग 1512270 मी.टन फ्लोट ग्लास का निर्यात किया है। इस 1512270 मी.टन में से, 791798 मी.टन अर्थात् विश्व को चीन जन. गण. के कुल निर्यातों का 52.35% घरेलू उद्योग के एन आई पी की तुलना में निम्न कीमत पर निर्यात किया जाता है। इसके अलावा, यदि संबद्ध वस्तु की एन आई पी के भारांशित औसत पर विचार किया जाता है तो चीन से निर्यातित मात्रा का लगभग 83% घरेलू उद्योग के भारांशित एन आई पी से नीचे है।

झ. प्रकटीकरण - पश्चात निवेदन

111. प्रकटीकरण – पश्चात निवेदन केवल घरेलू उद्योग से प्राप्त हुए हैं।

झ.1. घरेलू उद्योग द्वारा निवेदन

112. प्रकटीकरण विवरण पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन इस प्रकार है:-

- क. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अंतिम जांच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र, घरेलू उद्योग के मत, पाटन विश्लेषण, क्षति विश्लेषण और पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना के विश्लेषण के संबंध में प्रकटीकरण विवरण में इसके द्वारा किए गए प्रस्तावों की पुष्टि करने के लिए कहा है।
- ख. घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि चूंकि किसी भी इच्छुक पक्ष ने घरेलू उद्योग के दावे को अस्वीकार नहीं करने और क्षति के जारी रहने की संभावना के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं की है, इसलिए प्राधिकारी को मौजूदा पाटन रोधी शुल्कों को और पांच वर्षों के लिए बढ़ाना चाहिए।

ग. आगे यह भी निवेदन किया जाता है कि शुल्कों का विस्तार न किए जाने की स्थिति में मलेशिया के आयात चीन के जरिए होकर आएंगे।

झ.2. प्राधिकारी द्वारा जाँच

113. पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना से संबंधित पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में, प्राधिकारी ने संबंधित मापदंडों की विधिवत जांच की है और वर्तमान अंतिम जाँच के प्रासंगिक पैराग्राफ में अपने निष्कर्षों को दर्ज किया है।
114. पाटन और क्षति के विभिन्न संभावित पहलुओं का विश्लेषण इंगित करता है कि चीन जन. गण. विशाल क्षमताओं के साथ वैश्विक बाजार में फ्लोट ग्लास विनिर्माण में प्रधान स्थिति पर लगातार बना हुआ है। हाल ही में, विभिन्न अन्य देशों पर भारत द्वारा संबद्ध वस्तुओं पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क के साथ, यदि शुल्कों को निरस्त कर दिया जाता है तो चीन जन. गण. को भारत में पाटित वस्तुओं की उच्च मात्रा में वृद्धि करने का एक अलग फायदा होगा।
115. संबद्ध वस्तुएं विभिन्न अन्य देशों से भी निर्यात की जा रही है जिनपर प्राधिकारी ने हाल ही में पाटन रोधी शुल्क की सिफारिश की है। ऐसी परिस्थितियों में, यह संभावना है कि विद्यमान शुल्कों को वापस लेने के परिणामस्वरूप चीन जन. गण. से पाटित आयातों में वृद्धि हो सकती है। इसलिए, चीन जन. गण. से पाटित निर्यातों में वृद्धि की संभावित संभावना के बारे में घरेलू उद्योग के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता।

ज. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

116. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य रूप से पाटन रोधी शुल्कों का प्रयोजन पाटन के अनुचित व्यापार अभ्यासों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटन रोधी शुल्क को लगाना किसी भी तरीके से संबद्ध देश से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगा और इस प्रकार उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा।

ट. निष्कर्ष

117. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विवादों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किए गए निवेदनों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जो इन अंतिम जांच परिणामों में दर्ज किए गए हैं, के संबंध में और उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि:
 - क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन हो रहा है और शुल्क को समाप्त करने की स्थिति में आयातों के पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करने की संभावना है।
 - ख. चीन जन. गण. से पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं।
 - ग. यदि इस स्तर पर पाटन रोधी शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना को दर्शाती है।
 - घ. इस ओर इंगित करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि इस स्तर पर पाटन रोधी शुल्क की वापसी के कारण पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी।

ठ. सिफारिश

118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब जांच की शुरुआत की गई थी, सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति, पाटन और क्षति की संभावना तथा कारणात्मक संबंध पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था।
119. यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यदि विद्यमान पाटन रोधी शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध, पाटन और क्षति की संभावना के पहलू पर साक्ष्य सकारात्मक हैं, प्राधिकारी का मत है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं से संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क को जारी रखने की जरूरत है।

120. इन परिस्थितियों के तहत, प्राधिकारी चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क की वर्तमान मात्रा को जारी रखने की सिफारिश करना उचित समझते हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी विद्यमान निश्चित पाटन रोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना जरूरी समझते हैं। इसलिए, नीचे दी गई शुल्क तालिका में उसके नीचे दिए गए फुटनोट सहित, कॉलम में दिए गए विवरण के अनुसार, चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर, केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में इंगित राशि के समकक्ष पाटन रोधी शुल्क लागू किए जाने के लिए सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं	उप शीर्ष अथवा टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूल का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	मुद्रा	ईकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7005*	फ्लोट ग्लास **	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	कोई	218	अमरीकी डॉलर	मी.टन
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अतिरिक्त कोई देश	चीन जन. गण.	-वही-	218	अमरीकी डॉलर	मी.टन

*सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और शुल्क का निर्धारण पी यू सी के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

** विचाराधीन उत्पाद, फ्लोट ग्लास अर्थात् "क्लियर साथ ही टिंटेड प्रकार (ग्रीन ग्लास के अलावा) के 2 मि.मी. से 12 मि.मी. (दोनों प्रकार की मोटाई शामिल है) मोटाई के फ्लोट ग्लास किंतु इनमें सजावटी, औद्योगिक अथवा ऑटोमोटिव प्रयोजनों के लिए अभिप्रेरित रिफ्लेक्टिव ग्लास, प्रोसेस्ड ग्लास शामिल नहीं हैं।"

ड. आगे की प्रक्रिया

121. केंद्रीय सरकार के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील, जो इस सिफारिश के कारण उत्पन्न हो सकती है, अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसरण में सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

बी.बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) (DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2020

FINAL FINDINGS

Case No. SSR 02/2020

Subject : Sunset Review of Anti-Dumping duty imposed on imports of 'Float Glass' originating in or exported from China PR.

F. No. 07/02/2020-DGTR.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (hereinafter referred to as the "Rules") thereof.

1. M/s Gold Plus Glass Industry Ltd., M/s Saint-Gobain Glass India Pvt. Ltd. M/s Sisecam Flat Glass India Ltd. and M/s. Asahi India Glass Ltd., (hereinafter referred to as the “Applicants” or “petitioners”) filed an application before the Authority in accordance with the Act and the Rules, for initiation of Sunset Review investigation concerning imports of “Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes” originating in or exported from China PR, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry in case of cessation of existing anti-dumping duties.
2. Whereas in terms of Section 9A(5) of the Customs Tariff Act 1995 as amended, the anti-dumping-duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
3. On the basis of the duly substantiated application filed on behalf of the domestic producers of float glass in India and in accordance with section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Designated Authority in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Govt. of India, appointed under the Rules supra, (hereinafter referred to as “the Authority”), initiated a sunset- review investigation, vide Notification No. 7/02/2020-DGTR dated 10.2.2020, to examine whether the expiry of the duty in force on import of Certain Float Glass originating in or exported from China PR, is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

A. BACKGROUND OF THE CASE

4. The Authority had initiated the original investigation concerning imports of “Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes” originating in or exported from China PR vide Notification No. 14/19/2002-DGAD dated 5.7.2002.. The Authority vide Notification No. 14/19/2002-DGAD dated 20.11.2002 notified the Preliminary Findings recommending provisional anti-dumping duties (ADD). The Authority vide its final findings No.14/19/2002-DGAD dated 22.08.2003 recommended imposition of anti-dumping duties against the dumped imports of the subject goods from China PR and Indonesia. Anti-dumping Duties were imposed by Customs notification No. 165/2003-Customs dated 12.11.2003.
5. The first Sunset Review was initiated by the Authority vide Notification No. 15/01/2007-DGAD dated 13.12.2007 and the final findings recommending continued imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the China PR and Indonesia was issued by the Authority vide final findings Notification No. 15/01/2007-DGAD dated 02.12.2008. The continued imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the China PR and Indonesia was notified by the Central Government vide Custom’s Notification No.04/2009-Customs dated 06thJanuary 2009, amended by Custom’s Notification No.51/2009-Customs dated 22.05.2009.
6. The Authority initiated 2nd sunset-review investigation vide Notification No.15/24/2013-DGAD dated 3.01.2014 against China PR and Indonesia, and the final findings recommending continued imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the China PR was issued by the Authority vide final findings Notification No. 15/24/2013-DGAD dated 2.07.2015. The Designated Authority also recommended withdrawal of anti-dumping duty against Indonesia. The continued imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the China PR was notified by the Central Government vide Custom’s Notification No.47/2015-Customs (ADD) dated 8.09.2015. The current duties were in force till 7.9.2020 and they have been extended by three months vide Notification No 29/2020-Customs (ADD) dated 02.09.2020 i.e. till 7.12.2020.
7. In terms of Section 9A(5) of the Act, the anti-dumping-duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis

of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

8. Before the expiry of the said duty, M/s Gold Plus Glass Industry Ltd. M/s Saint-Gobain Glass India Pvt. Ltd. M/s Sisecam Flat Glass India Ltd. and M/s. Asahi India Glass Ltd, (hereinafter referred to as the “Applicants” or “petitioners”) an application before the Authority in accordance with the Act and the Rules, for initiation of Sunset Review investigation concerning imports of “Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes” originating in or exported from China PR, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry in case of cessation of existing anti-dumping duties.
9. The Authority on the basis of the prima facie evidence, initiated sunset review investigation through notification No. 7/02/2020-DGTR dated 10.02.2020 to examine whether the expiry of the said duties on the import of the subject goods originating in or exported from the China PR (hereinafter referred to as subject country) is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
10. The scope of the present review covers all aspects of the final findings No. 15/24/2013-DGAD dated 02.07.2015 concerning imports of the above goods, originating in or exported from the subject country.

B. PROCEDURE

11. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
 - i. The Authority, under the above Rules, received a written application from the Applicants on behalf of the Domestic Industry, alleging continuation and also likelihood of injury and dumping of Float Glass from China PR.
 - ii. The Embassy of the subject country in New Delhi were informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2).
 - iii. The Authority issued a notification dated 10.02.2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the sunset review investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
 - iv. A copy of the public notice was forwarded by the Authority to all known exporters of the subject goods, the Government of the subject country through their Embassy in India, and other interested parties about the initiation of the subject investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules.
 - v. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, and to the Government of China PR, through its Embassy in India and to other interested parties who made a request therefore in writing in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.
 - vi. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating anti-dumping investigation to the known producers / exporters in the subject country, and other interested parties and provided them an opportunity to file response to questionnaire in the form and manner prescribed within time limit as prescribed in the initiation notification or extended time limit, and make their views known in writing in accordance with the Rule 6(4) of the Rules. The Authority sent Exporter’s Questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. M/s Luoyang Float Glass Group Co., Ltd
 - b. M/s Qinhuangdao Huazhou Glass Co. Ltd.

- vii. The Governments of China PR, through their Embassy in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the Embassy along with the names and addresses of the known producers/ exporters from the subject country.
- viii. China PR being a Non-Market Economy country, a supplementary questionnaire was also forwarded to all the known producers/exporters in China PR and the Embassy of China PR with the request to provide relevant information to the Authority within the prescribed time limit. While for the purpose of initiation the normal value in China PR was considered based on the cost of production of the subject goods in India, duly adjusted, the Authority informed the known producers/exporters from China PR that it proposes to examine the claim of the applicant in the light of Para 7 and Para 8 of Annexure I of Anti-dumping Rules, as amended. The exporters/producers of the subject goods from China PR were, therefore, requested to furnish necessary information as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 of Annexure I referred above to enable the Authority to consider whether market economy treatment can be granted to the cooperative exporters/producers in that country. However, no response has been received from any producer/exporter from China PR in this regard.
- ix. None of the producers/exporters from China PR has filed the questionnaire response before the Authority in the present investigation.
- x. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating anti-dumping investigation along with Importer's Questionnaire to the following known importers/users/user associations (whose names and addresses were made available to the authority) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4):
- a. Atlantic Trading – Mumbai
 - b. Kanch Ghar – Mumbai
 - c. Fishfa Glass – Mumbai
 - d. Samarth Industries – Mumbai
 - e. Prashanth Trading – Mumbai
 - f. Asmi Traders – Mumbai
 - g. Rajat Glass Traders – Karad
 - h. Chandan Glass Traders – Pune
 - i. Kochhar Glass Traders – Bhopal
 - j. Ganeriwala Brothers Pvt Ltd – Kolkata
 - k. Sure Safe Group/ Ganeriwala Glass Traders- Kolkata
 - l. M S Glass Traders- Kolkata
 - m. Glaze Architecture Pvt Ltd. - Kolkata
 - n. Glaze Infrastructure P Ltd.- Kolkata
 - o. Saraf Glass P Ltd. - Kolkata
 - p. GSC - Noida
 - q. Shiv Shakti - Roorkee
 - r. Ridhi Sidhi - Jaipur
 - s. Banaras Glass - Lucknow
 - t. T. L. Verma - Chandigarh
 - u. Jagdamba Glass - Delhi

- v. Sheesh Mahal Tuff - Rohtak
- w. Nutan Glass Hs(P) Ltd. - Bangalore
- x. Mahaveer Glass Hs - Bangalore
- y. Karnataka Metal Company - Bangalore
- z. Impact Safety Glass (P) Ltd - Bangalore
- aa. Southern Auto Products (P) Ltd. - Bangalore
- bb. Tough Glass India- Bangalore
- cc. Yesho Float Glass (P) Ltd. - Hyderabad
- dd. Bhandari Glass Co. - Hyderabad
- ee. Prakash Glass - Hyderabad
- ff. Mahaveer Glass - Chennai
- gg. Mahaveer Mirror - Vishakhapatnam
- hh. Uma Industries – Bangalore
- ii. Jai Mirror Industries – Chennai
- xi. The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known Association of subject goods in India for circulation & calling necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. All India Flat Glass Manufacturers Association (AIFGMA)
 - b. ASSOCHAM
 - c. FICCI
 - d. CII
- xii. No response to the prescribed questionnaire has been submitted by any of the importers/users/other interested parties.
- xiii. Exporters, producers, importers and other interested parties, who have neither responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties by the Authority.
- xiv. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by the interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6 (7). Also, in view of the global pandemic and physical inaccessibility, request was made to all the interested parties to share the non-confidential versions of their submissions with other interested parties via email.
- xv. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and from DG-Systems, Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period. The Authority, after due verification of the transactions and after due analysis, has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume and value of imports.
- xvi. The Non-injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xvii. In accordance with the Rules the Authority disclosed the essential facts of the case before it that would form the basis of its findings in the form of a disclosure statement dated 23.11.2020 and the interested parties were allowed time up-to 25.11.2020 to

comment on the same. The comments of the interested parties, to the extent relevant, have been considered by the Authority and have been addressed in this finding.

- xviii. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is from 1st October 2018 to 30th September 2019 (12 months). However, the injury investigation period covers the data of previous three years, i.e. April 2016 to March 2017, April 2017 to March 2018, April 2018 to March 2019 and POI.
- xix. Further information was sought from the applicants and other interested parties to the extent deemed necessary. Desk verification of the data provided by the domestic industry was carried out to the extent considered necessary for the purpose of this disclosure statement.
- xx. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in the oral hearing held on 21.10.2020. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of these views, in order to enable opposing interested parties to file rejoinders thereafter, if any.
- xxi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this disclosure statement.
- xxii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xxiii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the disclosure statement on the basis of the facts available.
- xxiv. ‘***’ in this disclosure statement represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxv. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1 = ₹71.55.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions made by the Domestic Industry

- 12. The product under consideration in the earlier investigations and also in the present investigation is “Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes” (hereinafter also referred to as the “subject goods”). The present investigation being a sunset review, the scope of product under consideration is the same as that in the original investigation.
- 13. The subject products are classified under Chapter Heading 70 “Glass and glassware”. The classification at the 8-digit level is 70051090 even though the same are being imported under various sub-headings like 7003, 7004, 7005, 7007, 7008, 7009, 7019, 7013, 7015, 7016, 7018 and 7020 of the Customs Tariff Act, 1975. The applicant has claimed that most of the imports of subject goods by way of description / usage are to be found under these codes. However, possibility of the import of the subject good in the chapter codes other than mentioned above cannot be ruled out. It has been submitted that the Custom classification is indicative only and in no way, it is no way binding upon the product scope.

C.2. Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties

14. No submission has been made by any of the interested parties with regard to the scope of the product under consideration and like article.

C.3. Examination of the Authority

15. The product under consideration in the original investigation as well as in the present investigation was defined as "Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes". "Reflective glass" was excluded from the definition of the product under consideration by Customs Notification No. 51/2009-Customs dated 22.5.2009. The product under consideration is classified under the category "Glass and Glassware" in Chapter 70 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 7005 per Customs Classification. However, Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.
16. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules provides as under:
"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation."
17. The Authority notes that there is no known difference in product under consideration produced by the Indian industry and exported from China PR. Product under consideration produced by the Indian industry and imported from China PR are comparable in terms of characteristics such as physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from China PR within the scope and meaning of Rule 2(d) of anti-dumping Rules.
18. No other argument has come across to the Authority regarding the product under consideration and like article issue. The Authority, therefore, confirms that the scope of the product under consideration in the present review remains the same as that of the initiation notification.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

19. The current application has been filed by M/s Gold Plus Glass Industry Ltd., M/s Asahi India Glass Ltd., M/s Saint-Gobain Glass India Ltd. and M/s Sisecam Flat Glass India Ltd., who collectively command 88% share in Indian production of the subject goods during the period of investigation. As per the information available with the Authority there is only one other known producer of the product under consideration in the country i.e. M/s Gujarat Guardian Ltd. It is also noted that the said company has neither supported nor opposed to the investigation.
20. As per the available information, one of the applicants, M/s Saint-Gobain India Pvt. Ltd. has imported a negligible quantity of the subject goods from China PR for internal quality and testing purpose. Considering the small volume of imports by the M/s Saint-Gobain India Pvt. Ltd, the Authority has considered M/s Saint-Gobain India Pvt. Ltd as eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b). None of the other applicants has imported the subject goods from subject country. In view of the above, the applicants fulfil the criteria of Domestic Industry and the standing as laid down under the Indian Anti-dumping Rules.
21. There is no opposition to the domestic industry's application from any other producer in the country in the present investigation.
22. None of the producers/exporters/other interested parties has made any submissions with regard to scope and standing of the domestic industry.
23. In view of the above, the Authority has considered the petitioners as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5.

E. CONFIDENTIALITY**E.1. Submissions made by the domestic industry**

24. The Applicants have claimed that as far as their submissions / information are concerned, confidentiality has been claimed in accordance with the provisions of Rule 7 of the Anti-dumping Rules and the Trade Notices issued in this regard.

E.2. Submissions made by exporters/importers and other interested parties

25. None of the producers/exporters/other interested parties has made any submissions with regard to confidentiality claims of the Domestic Industry

E.3. Examination by the Authority

26. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

27. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN**F.1. Normal Value**

28. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

- i. *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- ii. *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

F.1.1. Submissions by the Domestic Industry

29. The following submissions have been made by the Domestic Industry:

- i. The Domestic Industry has submitted that China PR should be treated as non-market economy country, as China PR has been considered as a non-market economy country by various authority's world over including the DGTR.
- ii. The Domestic Industry has also submitted that since the Hon'ble Designated Authority has considered China PR as a non-market economy in the recent investigations, therefore, it needs to be considered as non-market economy in terms of paragraph 8 (2) of Annexure I of ADD Rules.
- iii. In this context, the Domestic Industry suggested Germany as an appropriate market economy third country for China PR in terms of paragraph 7 of Annexure I of ADD Rules. While proposing Germany as surrogate country, Domestic Industry has submitted that both China PR and Germany are export-centric and their effective domestic demand cannot absorb the excess production. Further, Germany is the fourth largest exporter of the subject goods. Germany is the second largest producer after China PR of the subject goods. Also, the level of development of Float Glass in terms of local consumption, competition, export-orientation, etc. is largely similar.
- iv. Since the applicants were not able to get the prevailing prices in Germany, they have claimed normal value for China PR, based on import prices in Germany (source: ITC Trade Map).

F.1.2. Submissions by the Other Interested Parties

30. None of the interested parties has made any submission with regard to normal value.

F.1.3. Examination by the Authority

31. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to the article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either*
 - (a) *Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

32. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption that China PR is a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the supplementary questionnaire to all the known producers/exporters for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China PR to advise the producers/exporters in China PR to provide the relevant information. However, none of the Chinese producers/exporters has filed any response.

33. In view of the above position and in the absence of rebuttal of non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and has proceeded with Para 7 of Annexure I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.
34. Para 7 of Annexure I of the Anti-dumping Rules provide that:
- “In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”*
35. In this connection possibility of determination of the normal value in China PR in terms of first and second option in Para 7 of Annexure I of the AD Rules has been examined. In this regard, it is noted that the Authority had accepted the import price of float glass as a whole into Germany as prima facie evidence for normal value for China PR for the purpose of initiation. Germany was considered as a surrogate country since level of development of product and country were considered similar for both China PR and Germany.
36. However, during the course of the investigation, the Authority has noted that product under consideration has certain variants like thickness, color, etc and thus the prices of float glass into Germany could not be considered for the purpose of normal value as no information about the product under consideration as defined could be culled out from the import data (Trade map) made available by the petitioners in their petition. The same was considered important for applying principals of fair comparison. It is also noted that during the process of investigations, none of the producers / exporters have participated in the investigation to assist the Authority in proper price comparison or to have similar normal value for like to like comparison. Therefore, in order to have fair comparison of products, the Authority has no option but to construct the normal value based on the third option provided in paragraph 7 of Annexure I, i.e., *price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit*. Thus, normal value has been determined on the basis of price paid or payable in India, considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. The normal value so determined is given below in dumping margin table.
37. The normal value so determined is provided in the dumping table below.

F.2. Export Price

F.2.1. Submissions by the Domestic Industry

38. The Domestic Industry has submitted that the transaction-wise import data for the purpose of determination of the export price. It has used DGCI&S data to assess the volume and value of imports in India in addition to the required price adjustments on account of ocean freight, marine insurance and port handling expenses, inland freight, VAT adjustment and credit cost.

F.2.2. Submission by the Other Interested Parties

39. No response has been filed by any of the interested parties in relation to export price.

F.2.3. Examination by the Authority

40. The domestic industry, in its application had provided the transaction-wise import data obtained from DGCI&S. As none of the exporters of the subject country has provided any information that can be used for determination of the export price, the export prices for all exporters from subject country have been determined on the basis of CIF prices of imports as reported in DGCI&S data. Since transaction-wise import data provided by DGCI&S contained both the product under consideration

and other excluded items or non-subject goods, the data has been analyzed and volume and value of the product under consideration has been determined after pruning the data for excluded items and non-subject goods. Since a large number of transaction lines in the DGCIS data do not show complete description of the product imported a reasonable method of segregation of those lines into PUC and Non-PUC items have been adopted for the purpose of dumping and injury examination.

41. It is noted that as per DGCIS import data as stated above 8531 MT of the subject goods were imported from China PR during the POI. The Authority has also noted from the import data that out of 8531 MT of the import of subject goods from China PR, around 5563 MT of imports is of particular variant / grade / type of the subject goods namely Extra Clear Float Glass (ECFG). It is further noted that the ECFG is normally priced higher due to purity of the raw materials used and aesthetic value. Based on the available data, the Authority has compared the ECFG and other subject goods ("other float glass") imported from the China PR with the ECFG and other float glass produced and sold by the Domestic Industry in the market to analyze impact of imports of ECFG and other float glass on the Domestic Industry.
42. In the absence of concrete information from the respective exporters in the subject country, export prices of subject goods from the China PR have been calculated on the basis of applicable adjustments for Ocean freight, Marine insurance, Port expenses, Commission, Inland transportation in the country of export, and Bank charges as per best information available to arrive at the export prices at the ex-works level.

43. Accordingly, the net export price for China PR for the subject goods has been determined as follows:

F.3. Dumping Margin

44. Comparing the weighted average Constructed Normal Value and the Export price at ex-factory level determined as above, the Dumping Margin for the producers/exporters in China PR is determined as follows:

Particulars	UoM	ECFG	Other Float Glass	Wt. Average -Subject goods
Import Quantity	MT	5563	2967	8531
Constructed Normal Value	USD/MT	***	***	***
Export Price	USD/MT	***	***	***
Dumping Margin	USD/MT	***	***	***
Dumping Margin	%			***
Dumping Margin	Range			50-70

45. The dumping margin so determined is positive, above *de minimis* and is also significant.

G. ASSESSMENT OF INJURY, CAUSAL LINK AND LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

G.1. Submissions made by the Domestic Industry

46. The following are the injury related submissions made by the domestic industry during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority:
- That the demand of the product under consideration has shown a growth throughout the injury period. Hence, the contraction in demand is not a possible reason, which could have contributed to injury to the domestic industry.
 - That dumping margins are significantly positive, and therefore, there is clear likelihood of increase in the demand of the imported subject goods in India from the China PR in the event of cessation of Anti-dumping duty.
 - That once the current COVID-19 crisis will over, India will become the hot destination for exports of the subject goods from China PR particularly in view of the fact that their major

markets including the European Union have been severely affected by the Covid-19 crisis. Therefore, volume injury to the Domestic Industry is imminent.

- iv. That the two major producers from China PR namely Xinyi and Kibing has started exporting the subject goods from Malaysia at dumped and injurious prices. The Authority has recommended anti-dumping duties from Malaysia. Therefore, if duties were not extended from China PR, there is every likelihood that the quantity exported from Malaysia will be diverted from China PR, in case duties are not extended against China PR.
- v. That since the pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change, changes in pattern of consumption is unlikely to contribute to the injury to the domestic industry.
- vi. The Domestic Industry has requested for like to like comparison with the imported subject goods as predominantly ECFG one of the variants of the subject goods is getting imported from China PR. That there is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.
- vii. That technology for production of the product has not undergone any change nor are there any likely changes in coming future. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.
- viii. That the productivity of the domestic industry has remained almost at the same level during the entire period of injury. Hence, productivity is not a factor of injury.

G.2. Submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties

47. No submissions related to the injury has been made by any producers/exporters/importers/other interested parties during the course of the present investigation before the Authority.

G.3. Examination by the Authority

48. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
49. The Authority has also noted from the import data that out of 8531 MT of the import of subject goods from China PR, around 5563 MT of imports is of particular variant / grade / type of the subject goods namely Extra Clear Float Glass (ECFG). It is further noted that the ECFG is normally priced higher due to purity of the raw materials used and aesthetic value. It is also noted that ECFG and other variant / grade / type of the subject goods are imported under various thickness, which was not reported correctly in the import data. Therefore, the import prices cannot be relied upon in the absence of participation of any producer / exporters from China PR and without proper verification thereof. However, based on the available data, the Authority has compared the ECFG imported from the China PR with the ECFG produced and sold by the Domestic Industry in the market to analyze impact of imports of ECFG on the Domestic Industry including likelihood analysis.
50. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investments have been considered in accordance with Annexure II of the Rules. All economic parameters affecting the Domestic Industry as indicated above have been examined as under: -

Volume Effect of Dumped Imports and impact on the Domestic Industry**i. Assessment of Demand**

51. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the subject goods has been defined as the sum of domestic sales of the Applicants, sales of other domestic producer and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Imports from China PR	MT	8283	7302	8413	8531
Imports from Other Countries	MT	271410	328079	300832	302763
Total Imports	MT	279693	335381	309245	311293
Sales of Domestic Industry	MT	961514	1043966	1182547	1175051
Sales of Other Domestic Producers	MT	161000	172000	150000	150000
Total Domestic Sales	MT	1122514	1215966	1332547	1325051
Demand	MT	1402207	1551347	1641792	1636344

52. The above data indicates that the demand of the subject goods show a healthy growth over the injury investigation period and has grown by about 17% during the POI as compared to the base year. It is noted from the import data that around 65% to 70% of the imports from China PR are of a particular variant namely ECFG and remaining 30 to 35% is of other variants of the subject goods.

ii. Imports volume and share of the imports from China PR

53. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from China PR has been analyzed as under:

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Imports from China PR	MT	8283	7302	8413	8531
Imports from Other Countries	MT	271410	328079	300832	302763
Total Imports	MT	279693	335381	309245	311293
Total PUC Production	MT	1094376	1144299	1418849	1413108
Demand of Subject goods in India	MT	1402207	1551347	1641792	1636344
Imports from China PR in relation to					
Production	%	0.76%	0.64%	0.59%	0.60%
Trend	Indexed	100.0	84.3	78.3	79.8
Consumption	%	0.59%	0.47%	0.51%	0.52%
Trend	Indexed	100	80	87	88

54. From the above table, it is noted that-

- Imports of subject goods from China PR have remained at the same levels throughout the injury investigation period. Further, it is also noted that the imports from China PR has increased in the POI in absolute terms as well in relation to production and consumption as compared to the year 2018-19. However, the same declined marginally in the POI as compared to the base year due to the existing anti-dumping duties.
- The Domestic Industry has submitted that the marginal decline in the imports from China PR in relative terms during the POI as compared to the base years is due to the existing anti-dumping duties against China PR and the fact that the Chinese producers were exporting the subject goods from Malaysia through their 100% owned companies.

iii. Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

55. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
56. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject country. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of the dumped imports and the domestic selling price. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission incurred by the domestic industry have been adjusted.
57. It is further noted that for the sake of proper price analysis the Authority has considered the principles of fair comparison while comparing imported goods and products produced by the Domestic Industry.

a. Price Undercutting

58. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports from China PR with net sales realization of the domestic industry. The details are provided in the below table:

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Landed price of imports	Rs/MT	25202	24162	27286	26021
Net selling price of Domestic Industry	Rs/MT	24532	22856	21123	20997
Price undercutting	Rs/MT	-670	-1307	-6163	-5024
Price undercutting	%	-2.66%	-5.41%	-22.59%	-19.31%
Price undercutting	Range	(10)-0	(10)-0	(30)-(20)	(20) -(10)

59. It is noted that the landed value from China PR was above the selling price of the Domestic Industry. As noted above, out of total import quantity from China PR of 8531 MT, around 65% i.e., 5563 MT is ECFG, while during the same period Domestic Industry's share of ECFG was less than 1% of the total domestic sales of the Domestic Industry. Therefore, the above price undercutting does not reflect true position. The Authority has also carried out the like to like comparison between ECFG and other variants of the subject goods imported from China PR with the ECFG and other variants of the domestic like product produced and sold by the Domestic Industry, and noted that the price undercutting is positive. The same can be seen from the Table below:

POI	UoM	ECFG	Other Float Glass	Wt. Average
Import Quantity	MT	5563	2967	8531
Landed Value	Rs/MT	25209	27543	26021
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***
Price Undercutting	Range	***	***	50-60

b. Price Suppression and Depression

60. In order to determine whether the imports from China PR are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period, as detailed below:

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of Sales	Rs/MT	19905	20158	21925	22221
Trend	Indexed	100	101	110	112
Selling Price	Rs/MT	24532	22856	21123	20997
Trend	Indexed	100	93	86	86
Landed Value from China PR	Rs/MT	25202	24162	27286	26021
Trend	Indexed	100	96	108	103

61. From the above table, it is noted that the domestic selling price of the Domestic Industry is below its cost of the sales, and the same also declined during the POI as compared to the preceding years. It is also noted that landed price of subject goods from China PR is higher than cost of production and selling price of the domestic like product.
62. In this connection, it is again noted that the import prices of the subject goods may not be fully relied upon in the absence of the cooperation of the Chinese producers / exporters as thickness can be verified only from the exporters data. However, it is noted that the selling price and cost of sales of the ECFG is above the landed value of ECFG from China PR, indicating that the Domestic Industry is under pressure due to dumped imports of subject goods from China PR.

c. Price Underselling

63. The Authority has also examined price underselling if any, suffered by the domestic industry on account of dumped imports from China PR in the following Table:

Particulars	Unit	China PR
NIP	Rs/MT	***
Landed price of imports from China PR	Rs/MT	26021
Price underselling	Rs/MT	***
Price underselling	%	***
Price underselling	Range	(10) – 0

64. The price underselling is negative based on the information provided in the above table. However, price underselling is positive when landed value of ECFG and other subject goods from China are compared with the non-injurious price of ECFG and other subject goods produced by the Domestic Industry on a like-to-like basis. The same is provided in the Table below.

POI	UoM	ECFG	Other Float Glass	Wt. Average
Import Quantity	MT	5563	2967	8531
Landed Value	Rs/MT	25209	27543	26021
Non-Injurious Price	Rs/MT	***	***	***
Price Underselling	Rs/MT	***	***	***
Price Underselling	%	***	***	***
Price Underselling	Range	***	***	10-20

iv. Economic Parameters of the Domestic Industry

65. Annexure-II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below

i.Capacity, Production, Capacity utilization and Sales:

66. The details of capacity, production and capacity utilization are given in the table below:

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Capacity	MT	1633740	1724104	2220200	2357900
Total Production	MT	1391242	1313874	1545182	1611310
Production PUC only	MT	1128228	1180057	1518303	1517850
Capacity Utilization (Total Production)	%	85.16%	76.21%	69.60%	68.34%
Sales Quantity	MT	961514	1043966	1182547	1175051
Trend	Indexed	100	109	123	122

67. It is noted from the above table that the capacity of the Domestic Industry has increased in order to cater the increased demand in India. It is also noted that the Domestic Industry has sufficient capacity to cater the need of the domestic demand. Despite the same, the capacity utilization of the Domestic Industry has declined throughout the injury investigation period due to dumped imports.

ii.Market share:

68. The details of imports, domestic sales and the market share of the domestic industry is as below:

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Imports from China	MT	8283	7302	8413	8531
Imports from Other Countries	MT	271410	328079	300832	302763
Total Imports	MT	279693	335381	309245	311293
Sales of Domestic Industry	MT	961514	1043966	1182547	1175051
Sales of Other Domestic Producers	MT	161000	172000	150000	150000
Total Domestic Sales	MT	1122514	1215966	1332547	1325051
Demand	MT	1402207	1551347	1641792	1636344
Share in Demand					
Imports from China PR	%	1%	0%	1%	1%
Imports from Other Countries	%	19%	21%	18%	19%
Total Imports	%	20%	22%	19%	19%
Sales of Domestic Industry	%	69%	67%	72%	72%
Sales of Other Domestic Producers	%	11%	11%	9%	9%
Total Domestic Sales	%	80%	78%	81%	81%

69. From the above, it is noted that imports of the subject goods from China PR has remained constant throughout the injury investigation period on account of the existing anti-dumping duties. However, Domestic Industry has contended that since duties are now levied from imports from Malaysia, share

of imports from China PR will again increase, if anti-dumping duties are not extended. It is further noted that the market share of the Domestic Industry has remained almost constant throughout the injury investigation period despite the fact that demand has increased over the same period.

iii. Productivity:

70. The productivity of the Domestic Industry is given in table below:

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Employees	Nos	3377	4026	4444	4421
Average Nos of Working Days	Days	365	365	365	365
No. of Man Days	Man Days	1232605	1469490	1622060	1613665
Productivity	MT/man-days	0.92	0.80	0.94	0.94
Trend	Indexed	100	88	102	103

71. It is noted from the above table that the productivity in terms of total production per man-days has remained in the same range.

iv. Inventories:

72. The inventory of the subject goods is shown in the following table.

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Average Inventory	MT	122869	126908	192367	195350
Trend	Indexed	100	103	157	159

73. From the above table, it is noted that the inventory has increased substantially during the POI as compared to the previous years.

v. Employment and Wages:

74. The position with regard to employment and wages is given in table below:

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Employees	Nos	3377	4026	4444	4421
Trend	Indexed	100	119	132	131
Wages	Rs. Lacs	12516	13617	17703	18010
Trend	Indexed	100	109	141	144
Wages/employee (Rs. per annum)	Rs/Nos	370625	338218	398366	407384
Trend	Indexed	100	91	107	110

75. It is noted from above table that the number of the employees and wages paid to them have increased during the POI. It is submitted by the Domestic Industry that the increase in wages have been commensurate to the increase in wages in the country in general.

vi. Profitability:

76. The Profits, return on investment and cash flow of the domestic industry has been examined as below:

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Selling Price	Rs. /MT	24532	22856	21123	20997
Trend	Indexed	100	93	86	86
Cost of Sales Price	Rs. /MT	19905	20158	21925	22221
Trend	Indexed	100	101	110	112
Profit & Loss	Rs. Lacs	44485	28163	-9483	-14388
Trend	Indexed	100	63	-21	-32
Profit & Loss	Rs. /MT	4627	2698	-802	-1224
Trend	Indexed	100	58	-17	-26
Cash Profit	Rs. /MT	6530	4458	994	845
Trend	Indexed	100	68	15	13
Return on Capital Employed (ROCE)	%	17.32%	9.81%	-2.86%	-4.44%
Trend	Indexed	100	57	-16	-26

77. From the above Table, it is noted that the cost of the Domestic Industry has increased to Rs. 22221 / MT in the POI from Rs. 19905 / MT in the base year i.e., 2016-17. However, during the same period, the selling price of the Domestic Industry has declined to Rs. 20997 / MT in the POI from Rs. 24532 / MT in the base year i.e., 2016-17. It is noted that due to increase in cost and decline in the selling price, the profitable position of the Domestic Industry turned into losses during 2018-19 and POI. Cash profit also declined throughout the injury investigation period. The ROCE has also followed the same trend as of profitability.

vii. Growth

78. There was negative growth of the domestic industry in terms of selling price, profitability, cash profit and ROCE in the POI. The same is reflected in the Table below:

Particulars	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Domestic Sales Price Rs/MT	-	-7%	-14%	-14%
Profit & Loss Rs/MT	-	-42%	-117%	-126%
Cash Profit (Rs/MT)	-	-32%	-85%	-87%
Return on Capital Employed	-	-43%	-116%	-126%
Domestic Sales of DI	-	9%	23%	22%
Market Share of DI in Demand	-	-1.86%	5.04%	4.72%

viii. Magnitude of Dumping:

79. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry. The data shows that the dumping margin determined against China is above *de minimis* and significant.

ix. Ability to raise Capital Investment:

80. The Authority notes that the Domestic Industry is suffering financial losses in the period of investigation. With the competition being faced by the Domestic Industry because of the dumped imports, it has been claimed that the future investment in the sector is marred by the presence of the dumped imports from China PR. The significant decline in profitability and return on investment indicates that the ability of the domestic industry to raise capital investments for the sector would be adversely affected due to dumped imports from China PR.

x. Factors affecting domestic prices

81. The data above indicates that there is a healthy growth in demand. The dumped imports from the subject country, though low in volume, are still entering the Indian market. It is further noted that since anti-dumping duties are applicable for the imports from China PR, the quantities of imports are low and the fact that due to various thickness issue, the import prices cannot be considered to be reflective of likely prices. However, the export prices from Malaysia gives the fair idea of the likely prices in the event duties are not extended for China PR. Thus, it can be concluded that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from China PR and the countries from where anti-dumping duties are applicable.

v. Analysis of Material Injury

82. An examination of the various parameters of injury along with the volume and price effects of imports reveals that imports of subject goods from the subject country during the POI remained constant due to existence of the anti-dumping duties. Moreover, as stated above, in the absence of the participation of the exporters / producers of the subject goods from China PR, export price cannot be accepted due to the thickness issue. It is also noted from the information available that there is no volume effect in this case. However, there is an adverse price effect as evidenced from the table showing price undercutting and price suppression and depression. With regard to impact of adverse price effect on the domestic industry, it is noted that capacity utilization has declined despite increase in demand. Further, it is also noted that profitability, cash profit and ROCE of the domestic industry has been adversely affected on account of dumped imports of subject goods from the subject country.

vi. Magnitude of Injury and Injury Margin

83. The Authority has determined Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure-III to the Rules, as amended from time to time. The NIP of the domestic like product has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost to make and sell for the period of investigation. The NIP of the domestic industry has been worked out in accordance with Annexure III to the Rules. For determining NIP, the best utilization of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been done with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. The production in POI has been calculated considering the best capacity utilization and the same production has been considered for arriving per unit fixed costs. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product under consideration was allowed for recovery of interest, corporate tax and profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure-III and being consistently followed by the Authority. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject country to determine the injury margin.

POI	UoM	ECFG	Other Float Glass	Wt. Average – Subject goods
Import Quantity	MT	5563	2967	8531
Landed Value	Rs/MT	25209	27543	26021
Non-Injurious Price	Rs/MT	***	***	***
Injury Margin	Rs/MT	***	***	***
Injury Margin	%	***	***	***
Injury Margin	Range	***	***	10-20

vii. Non-Attribution Analysis

84. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below

whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

(i) **Volume and price of imports from third countries**

85. The imports from the countries other than China PR and countries already attracting anti-dumping duties are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the Domestic Industry. Imports from other countries accounted for less than 3% in total imports and 1% of total demand/consumption in India. Thus, it cannot be said that imports from other countries are currently causing injury.

(ii) **Export Performance**

86. It is noted that the injury information examined by the Authority is for domestic operations and therefore possible changes in exports volume have not caused injury to the Domestic Industry.

(iii) **Development of Technology**

87. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry. It is further noted that technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, development in technology is not a factor causing injury to the domestic injury.

(iv) **Performance of other products of the company**

88. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry does not appear to be a possible cause of injury to the domestic industry.

(v) **Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic producers**

89. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

(vi) **Productivity of the Domestic Industry**

90. It is noted that the productivity of the domestic industry in terms of production per employee as well as production per day has marginally increased over the period.

(vii) **Contraction in Demand and Changes in pattern of consumption**

91. It is noted that the demand of the subject goods has increased consistently over the entire injury period. Thus, it can be concluded that the injury to the Domestic industry was not due to contraction in demand.

viii. Conclusion on continuation of injury and causal link:

92. It is thus noted that listed known other factors do not show that the domestic industry could have suffered injury due to these other factors. The Authority examined whether the dumping of the product has caused injury to the domestic industry.
- Imports of the subject goods from the subject country has remained constant due to existing anti-dumping duties.
 - The domestic industry has not been able to increase its production and sales commensurate with the increase in demand.
 - Performance of the domestic industry with regard to profits, cash flow and return on investments deteriorated. Thus, dumping of the product has led to deterioration in performance of the domestic industry in terms of profits, cash flow and return on investments.

H. ASSESSMENT OF LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

H.1. Submissions made by the Domestic Industry

93. The following submissions have been made by Domestic Industry with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:

- i. There is a clear likelihood of the continued dumping being further intensified by exporters from China PR leading to a situation of further intensified injury to the domestic industry, if the existing duty is withdrawn.
- ii. The Domestic Industry has submitted that the producers in China PR have huge surplus capacities. Such surplus capacities have been created on account of installment of capacities by the producers in China PR much in excess of demand or market requirement.

Particulars	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Indian Production Capacity	16,33,740	17,24,104	22,20,200	23,57,900
China Production capacity	6,30,00,000	6,50,00,000	6,70,00,000	6,90,61,538*
Capacity Addition	10,00,000 [#]	20,00,000	40,00,000	60,61,538
% of China capacity with Indian Capacity	3856%	3770%	3018%	2929%
% of China capacity addition with Indian Capacity	61%	116%	180%	257%

* China Production capacity for POI taken as % increase in previous year.

[#] based on capacity difference from 2015.

Source: China Glass database for Float Glass

- iii. It is also submitted by the Domestic Industry that the demand for glass is intricately linked to the infrastructure growth. With the decline in the growth rate, demand for subject goods will also decline in China PR which is already suffering with lower capacity utilization due to anti-dumping duties imposed by several countries. The same can also be seen from the Table below:

Particulars	2016	2017	2018	2019	2020	2024
China's Projected GDP Growth*	6.7	6.8	6.6	6.1	5.8	5.5
China Capacity utilization**	67%	71%	69%	68%	-	-

*Source: National Bureau of Statistics, China PR,

**Minsheng Securities for Float Glass

- iv. From the information placed on record, it is noted that China PR has very substantial idle capacity available, which can be easily diverted to India, in case duties are not extended. The same can also be seen from the Table below:

Particulars	2016	2017	2018	2019
China Production capacity	6,30,00,000	6,50,00,000	6,70,00,000	6,90,61,538
China Capacity utilization	67%	71%	69%	68%
Idle Capacity	2,07,90,000	1,88,50,000	2,07,70,000	2,20,99,692
Indian Demand	14,02,207	15,51,347	16,41,792	16,36,344
% of China surplus capacity as a proportion to Indian Demand	1483%	1215%	1265%	1351%

- v. It has further been submitted that China PR has huge idle capacity which is around 14 times of the Indian demand. Chinese producers are adding capacities despite the fact that consumption in China has declined due to stagnation in the real estate sector
- vi. There have been additions to capacity in China PR in the last 5 years, which is 4 times the additions in Indian capacities, making the overall Chinese capacity 30 times the size of the entire Indian market at end of 2018.
- vii. The Domestic Industry has submitted that the installed capacities along with the surplus capacities lying idle in China PR are substantial, and has potential to wipe-out the market share of the Domestic Industry. Further, these installed capacities along with the surplus capacities lying idle are substantial and has potential to wipe-out the market share of the Domestic Industry.
- viii. It has also been submitted by the Domestic Industry that much of the demand for China PR domestic glass market is tied to real estate (75%) and the real estate demand in China PR is stagnating.
- ix. The Domestic Industry has submitted that the demand of the subject goods in India has increased throughout the injury investigation period.
- x. India is an attractive market for the foreign producers /exporters, especially with regard to China PR as the ITC Trade Map shows India is second preferred destination for the exporters from China PR. Therefore, apart from China PR, Iran, Pakistan, UAE and Saudi Arabia are also subjected to anti-dumping duties
- xi. It has also been submitted that currently Chinese producers are exporting their dumped goods from their recently established plant in Malaysia for which the Authority has recommended anti-dumping duties and anti-subsidy investigation are ongoing.
- xii. Indian market for the subject goods continues to have a healthy demand for the product which is in line with the general economic growth. However, the price scenario of the past indicates that it would continue to remain a low-price market and attractive for the global players with surplus capacity to export at marginal cost pricing. However, if the duties are removed the Indian market will become much more attractive.

H.2. Submissions made by the Other Interested Parties

94. None of the producer/exporters has made any submissions with regard to the likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury.

H.3. Examination by the Authority

95. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry and other interested parties in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
96. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties earlier imposed on the imports of subject goods from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia, factors which may be taken into consideration viz.:
- a) A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
 - b) Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
 - c) Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
 - d) Inventories of the article being investigated.

97. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The examination of the parameters of likelihood is as follows:

(i) Surplus Capacity with the exporters

98. The Domestic Industry has provided information of the huge surplus capacities existing with the producers of the subject goods in China PR. From the data on record, it is noted that:
- Addition of demand in the POI by the Chinese producers is more than the total capacity of the subject goods in India. Further, capacity addition in the POI is itself more than 250% of the Indian capacity.
 - Chinese capacity is more than 2900% of the Indian capacity in the POI.
 - The Domestic Industry has increased capacity by 724160 MT in the POI as compared to the base year i.e., 2016-17, during the same time Chinese producers have added 6061538 MT, which is 8 times to the addition of the Indian capacity.
99. It is noted from the information placed on record that the demand for glass is intricately linked to the infrastructure growth. With the decline in the growth rate, demand for subject goods will also decline in China PR which is already suffering with lower capacity utilization due to anti-dumping duties imposed by several countries.
100. The Domestic Industry has further submitted that the demand for China PR domestic glass market is tied to real estate, and the real estate demand in China PR is stagnating. It has been submitted that the declining demand in China PR for the aforesaid reasons is clear from the NBS, China PR Glass Database.
101. From the information placed on record, it is noted that China PR has very substantial idle capacity available, which can be easily diverted to India, in case duties are not extended. Further, the Chinese producers are adding capacities despite the fact that consumption in China has declined due to stagnation in the real estate sector. This also indicates the likely quantum from China.
102. It is further noted that none of the producers or exporters from China PR or any other party has provided any information or contradicted the information submitted by the Domestic Industry regarding the production, consumption or capacities in these countries.
103. As per the reports provided by the domestic industry China PR continues to hold a very dominant position in capacity and production of float glass and a major supplier of this product globally. Further, the capacity utilization in China PR has also dropped to 70% from around 82% in recent years which is indicative of a declining demand in China PR, the Authority notes that China PR may resume supply of dumped subject goods into India once the anti-dumping duties are discontinued:
104. The Authority notes that based on the evidence available on record, there is existence of freely disposable capacities of subject goods in China PR.

(ii) Attractiveness of Indian market

105. Indian market for the subject goods continues to have a healthy demand for the product which is in line with the general economic growth. It is noted that despite the anti-dumping duty in force, the import of the subject goods from China PR continues to be at dumped prices and significant in the Indian market. Indian demand for the subject has notable increased and there is prospective growth in the demand. These factors make India a suitable and attractive market for the foreign producers.
106. It is further noted from the ITC trade Map data that India holds second position in terms of the preference of the subject goods exported by the Chinese producers. It is further noted that despite anti-dumping duties in force, India remains one of the favorite destinations for subject goods. It has further been submitted by the Domestic Industry that since anti-dumping duties are being levied from imports from Malaysia, it is very likely that the related parties of the Chinese producers, will reship their goods from China PR, with whom India holds second rank.

107. In this connection, it is also noted that in the event of cessation of the anti-dumping duties an additional volume of 802362 MT may be further diverted to Indian markets, as the same are priced lower than the export price to India. This would bring the total exports from the subject country to India around 810893 MT. Amount. The same is tabulated below:

Particulars	Unit	POI
Total Exports to World from China PR	MT	1512270
Exports to India from China PR	MT	8531
Likely Quantity to be exported to India	MT	802362
Total likely exports to India	MT	810893
Share of Likely total exports to India	%	54%

*Source: ITC Trade Map for Float Glass

108. It has also been brought to the notice of the Authority that duties have been imposed by Brazil, which is one of the emerging economies and an emerging consumer of float glass, in 2013 on imports of this product from China PR. Similarly, South Korea's trade commission has also extended anti-dumping duties on the Chinese float glass products levied on April 2012. The domestic industry has also added that in Australia, the Authority has continued the anti-dumping duty on the imports of float glass from China PR. Therefore, Chinese exports of the subject goods to Brazil, South Korea and Australia are likely to be impacted to that extent.
109. On the basis of information placed on record, it is noted that if the duties are removed the Indian market will become much more attractive as the exporters would be able to realize better prices to the extent of the duty absorbed by them.

(iii) Likely Quantities below the Non-injurious Price of the Domestic Industry

110. The Domestic Industry has submitted that the China has exported around 1512270 MT of the Float Glass to the world. Out of this 1512270 MT, 791798 MT i.e. 52.35% of the total exports of China PR to the world is exported at prices lower than the NIP of the Domestic Industry. Moreover, if weighted average of NIP of the subject goods is considered, around 83% of the quantity exported from China is below the weighted average NIP of the Domestic Industry.

I. POST-DISCLOSURE SUBMISSIONS

111. The post disclosure submissions have been received only from the domestic industry.

L.1. Submissions by Domestic Industry

112. The submissions made by the domestic industry on the disclosure statement are as follows:
- Domestic Industry has requested the Authority to confirm its proposals made in the disclosure statement regarding scope of product under consideration, standing of domestic industry, dumping analysis, injury analysis and likelihood of recurrence of dumping and injury analysis in the final findings.
 - It is also requested by the Domestic Industry that since no interested party has neither provided any information about likelihood of continuation of dumping and injury not rebutted the claim of the Domestic Industry, the Authority should extend the existing anti-dumping duties for further five years.
 - It is further submitted in the event duties are not extended, imports from Malaysia will find its route through China.

L.2. Examination by the Authority

113. With regard to the issues raised by parties relating to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority has duly examined the relevant parameters and has recorded its findings in the relevant paragraphs of the present final findings.
114. The analysis of various likelihood aspects of dumping and injury indicates that China PR continues to have a dominant position in the float glass manufacturing in the global market with huge capacities. With anti-dumping duty on the subject goods imposed by India on several other countries in the recent past, China PR would have a distinct advantage to increase the quantum of dumped goods in India of higher volumes if duties are revoked.
115. The subject goods are also being exported from several other countries which the Authority has recently recommended Anti-dumping duties. Under such circumstances, it is likely that the withdrawal of existing duties may result in the increase in dumped imports from China PR. Therefore, the contention of the Domestic Industry about possible likelihood of increase in dumped exports from China PR cannot be ruled out.

J. Indian Industry's interest & other issues

116. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duty would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

K. CONCLUSION

117. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in these final findings and on the basis of the above analysis, the Authority concludes that:
- a. There is continued dumping of the subject goods from the subject country and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of cessation of duty.
 - b. Dumped imports from China PR are causing injury to the Domestic Industry.
 - c. The information on record shows likelihood of continuation of dumping and injury in case the anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage.
 - d. There is sufficient evidence to indicate that the revocation of the anti-dumping duty at this stage will lead to continuation of dumping and injury to the Domestic Industry.

L. RECOMMENDATION

118. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the Domestic Industry and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury, likelihood of dumping and injury and the causal link.
119. Having concluded that there is positive evidence on the aspect of dumping, injury and causal link, likelihood of dumping and injury, if the existing Anti-Dumping Duty is allowed to cease, the Authority is of the view that continuation of duty is required on subject goods from China PR.
120. Under these circumstances, the Designated Authority considers it appropriate to recommend continuation of existing quantum of anti-dumping duty on the imports of subject goods from China PR. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of existing definitive anti-dumping duty. Therefore, anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col 7 of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods, as detailed in column 3 of the duty table below along with the footnotes thereunder, originating in or exported from the China PR.

Duty Table

S N	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Country of origin	Country of export	Producer	Duty Amount	Currency	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7005*	Float Glass**	China PR	Any country including China PR	Any	218	USD	MT
2	-do-	-do-	Any country except China PR	China PR	-do-	218	USD	MT

*Custom classification is only indicative, and the determination of the duty shall be made as per the description of PUC.

** Product under consideration is Float Glass i.e., "Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes".

M. FURTHER PROCEDURE

121. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority